



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष का
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
राजस्व प्रक्षेत्र



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest



बिहार सरकार
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-2

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष का
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

राजस्व प्रक्षेत्र

बिहार सरकार
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-2

विषय-सूची

	कंडिका संख्या	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय-1: सामान्य		
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.2	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षिप्त स्थिति	1.3	6
लेखापरीक्षा पर विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया	1.4	7
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.5	8
इस प्रतिवेदन का आच्छादन	1.6	9
अध्याय-2: वाहनों पर कर		
कर प्रशासन	2.1	11
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	11
“इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ई-चालान के कार्यान्वयन के पश्चात जुर्माना/अर्थदण्ड के वसूली एवं संग्रहण” पर विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा	2.3	12
अध्याय-3: वाणिज्य-कर		
कर प्रशासन	3.1	23
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	23
“संक्रमणकालीन क्रेडिट” पर अनुपालन लेखापरीक्षा	3.3	24
लीगेसी मामले	3.4	30
अध्याय-4: राजस्व एवं भूमि सुधार		
कर प्रशासन	4.1	33
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	33
अधिनिर्णय की गलत गणना किया जाना	4.3	33
अध्याय-5: मुद्रांक एवं निबंधन फीस		
कर प्रशासन	5.1	37
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.2	37
भूमि के अवमूल्यन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली	5.3	37
खनन पट्टे पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली	5.4	39
परिशिष्ट		41

प्रस्तावना

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 के तहत किये गये राजस्व प्रक्षेत्र के अधीन मुख्य राजस्व उद्ग्रहित करने वाले विभागों की प्राप्तियाँ एवं व्यय की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो वर्ष 2020–21 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में ध्यान में आये, साथ ही साथ वे मामले जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किन्तु पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हें प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; वर्ष 2020–21 के आगे की अवधि के मामले भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 10 कंडिकाएँ, “इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ई-चालान के कार्यान्वयन के पश्चात जुर्माना/अर्थदण्ड के वसूली एवं संग्रहण” पर एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा एवं “संक्रमणकालीन क्रेडिट” पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है। इस प्रतिवेदन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं:

1. सामान्य

वर्ष 2020-21 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,28,294.13 करोड़ थी जिसमें से राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से सृजित राजस्व ₹ 36,543.01 करोड़ (28.48 प्रतिशत) था। भारत सरकार से प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 91,751.12 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 71.52 प्रतिशत) था जिसमें संघीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ 59,987.24 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 46.76 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान ₹ 31,763.88 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 24.76 प्रतिशत) समाविष्ट थे।

(कंडिका 1.1)

31 मार्च 2021 तक बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क, वाहनों पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, भू-राजस्व, राज्य उत्पाद, मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस तथा अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगों पर राजस्व के बकाये ₹ 3,180.63 करोड़ थे, जिसमें से ₹ 1,056.31 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित थे।

(कंडिका 1.2)

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2009-10 से 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 64 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा किया तथा ऊपर वर्णित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित वाणिज्य-कर विभाग, मद्य-निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग और परिवहन विभाग से संबंधित 52 कंडिकाओं पर अनुशंसाएँ दिए, हालाँकि लोक लेखा समिति के अनुशंसा पर इन विभागों से कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं (मार्च 2022)।

(कंडिका 1.3)

मार्च 2021 तक 2,899 निरीक्षण प्रतिवेदन (24,332 लेखापरीक्षा अवलोकन) में सन्निहित संभावित राजस्व ₹ 29,868.12 करोड़ लंबित थे जबकि राज्य का संपूर्ण राजस्व संग्रहण ₹ 36,543.01 करोड़ था। 2007-08 और उससे आगे निर्गत किये गये ₹ 18,614.56 करोड़ तक के संभावित राजस्व से सन्निहित 1,201 निरीक्षण प्रतिवेदनों (10,385 लेखापरीक्षा अवलोकन) के प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए।

(कंडिका 1.4.1)

लेखापरीक्षा ने 669 मामलों में कुल ₹ 486.29 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि का पता लगाया। संबंधित विभागों ने 679 मामलों में ₹ 187.28 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया (अप्रैल 2020 एवं मार्च 2021 के मध्य) जो पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। 164 मामलों में कुल ₹ 9.69 करोड़ की वसूली विभागों द्वारा (अप्रैल 2020 एवं मार्च 2021 के मध्य) प्रतिवेदित किया गया।

(कंडिका 1.5)

2. वाहनों पर कर

“इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ई-चालान के कार्यान्वयन के पश्चात जुर्माना/अर्थदण्ड के वसूली एवं संग्रहण पर विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा”

हैंड-हेल्ड डिवाइस द्वारा ई-चालान के माध्यम से वसूले गए ₹ 6.27 करोड़ सरकारी खाते में प्रेषित नहीं किये गये। हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से संग्रह किए गए राशि के लिए खाता/रोकड़ बही का रख-रखाव न करने के कारण सरकारी खाते में ₹ 7.03 करोड़ के प्रेषण का सत्यापन नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.3.6)

₹ 1.97 करोड़ मूल्य के 3,061 चालानों में अनियमित रूप से संशोधन किया गया और भुगतान नहीं किये गए जुर्माने में ₹ 90.96 लाख की कमी की गई।

(कंडिका 2.3.7)

प्रवर्तन अवर निरीक्षक द्वारा हस्तलिखित धन रसीद के माध्यम से ₹ 0.71 लाख के जुर्माने की वसूली के बाद भी, उक्त राशि को सरकारी खाते में प्रेषित नहीं किया गया।

(कंडिका 2.3.8)

चूककर्ता वाहन मालिकों/चालकों को ₹ 24.17 करोड़ के 71274 ई-चालान निर्गत किये गये परन्तु उनके विरुद्ध न ही कोई कारवाई प्रारंभ की गई और न ही वाहन या दस्तावेजों की जब्ती के लिए कोई प्रयास किया गया।

(कंडिका 2.3.9)

नवादा के रजौली जाँच-चौकी पर पाँच कराधान कर्मचारियों के लिए उपयोगकर्ता पहचान पत्र जारी किये गये थे लेकिन जाँच-चौकी पंजी में केवल एक उपयोगकर्ता पहचान पत्र दर्ज किया गया था। राजस्व के दैनिक पालीवार संग्रह एवं सरकारी खाते में इसके प्रेषण के लिए कोई पंजी/अभिलेख का संधारण नहीं किया गया।

(कंडिका 2.3.11)

वाहन पर ₹ 9.33 करोड़ के जुर्माने से प्राप्तियाँ अनुचित शीर्ष में प्रेषित की गई जिससे सड़क सुरक्षा परिषद राशि ₹ 93.30 लाख की सड़क सुरक्षा कोष के अपने हिस्से से वंचित रहा।

(कंडिका 2.3.12)

उपयोगकर्ता के पहचान के बिना हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से ₹ 5.06 लाख मूल्य के 191 ई-चालान जारी किये गये, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खाते में इसके प्रेषण का सत्यापन नहीं हुआ।

(कंडिका 2.3.13)

वसूली गई कुल राशि का केवल 11.86 प्रतिशत ही आठ जिलों में नामित बैंक को डिजिटल रूप से हस्तांतरित किया गया।

(कंडिका 2.3.14)

3. वाणिज्य-कर

“संक्रमणकालीन क्रेडिट” पर अनुपालन लेखापरीक्षा

उचित अधिकारी ने वसूली के लिए देय ₹ 15.95 करोड़ की वसूली हेतु कोई कार्रवाई शुरू नहीं की।

(कंडिका 3.3.6.1)

दो अंचलों के दो करदाताओं ने ₹ 1.69 करोड़ की स्रोत पर की गई कर कटौती का गलत दावा माल एवं सेवा कर ट्रान-1 में संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में किया गया।

(कंडिका 3.3.6.2)

दो अंचलों के तीन करदाताओं ने वैट की अंतिम रिटर्न की तुलना में ₹ 35.31 लाख के अधिक संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा माल एवं सेवा कर ट्रान-1 में किया।

(कंडिका 3.3.6.3)

दो अंचलों के तीन करदाताओं ने माल एवं सेवा कर ट्रान-1 में अंतिम भण्डार पर ₹ 1.58 करोड़ के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा किया।

(कंडिका 3.3.6.4)

तीन अंचलों के चार करदाताओं ने माल एवं सेवा कर ट्रान-1 में ₹ 57.31 लाख के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा किया।

(कंडिका 3.3.6.6)

लीगेसी मामले

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवसाय बंद होने पर अंतिम भंडार पर ₹ 94.63 लाख का कर आरोपित नहीं किया।

(कंडिका 3.4.1)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ₹ 3.51 करोड़ के आवर्त के छिपाव का पता लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 1.18 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 3.4.2)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण करते समय प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य ब्याज सहित ₹ 45.21 लाख के प्रवेश कर की कम वसूली हुई।

(कंडिका 3.4.3)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ₹ 1.39 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित/अधिक दावों का पता लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 6.68 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 3.4.4)

कर-निर्धारण प्राधिकारी कर के गलत दर लगाये जाने का पता लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.12 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 3.4.5)

4. राजस्व एवं भूमि सुधार

त्रुटिपूर्ण गणना का तरीका अपनाने के फलस्वरूप ₹ 2.22 करोड़ तोषण का कम आरोपण हुआ जिसके कारण 17 भू-स्वामियों को कम भुगतान किया गया।

(कंडिका 4.3.1)

गलत गणना किए जाने के कारण भू-स्वामियों को ₹ 8.60 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे का कम भुगतान किया गया।

(कंडिका 4.3.2)

अधिग्रहण के अधीन भूमि का 25 वर्षों के वार्षिक लगान के पूँजीकृत मूल्य पर प्रतिशतता के रूप में ₹ 63.15 लाख के उपकर का आरोपण नहीं किया गया।

(कंडिका 4.3.3)

5. मुद्रांक एवं निबंधन फीस

पाँच निबंधन प्राधिकारी, जून 2016 से अगस्त 2021 के दौरान निष्पादित नौ दस्तावेजों में भूमि के अवमूल्यन का पता लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.08 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली हुई।

(कंडिका 5.3)

पत्थर के खनन पट्टे के गलत वर्गीकरण का पता लगाने में निबंधन अधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 6.95 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली हुई।

(कंडिका 5.4)

अध्याय 1

सामान्य

अध्याय-1: सामान्य

1.1 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2016-21 के दौरान बिहार सरकार द्वारा उद्ग्रहीत कर एवं कर-भिन्न राजस्व, विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की कुल प्राप्तियों में राज्य को समनुदेशित हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तालिका 1.1 में वर्णित है।

तालिका 1.1 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19 [#]	2019-20	2020-21
1.	राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत राजस्व					
	• कर राजस्व	23,742.26	23,136.49	29,408.14	30,157.98	30,341.66
	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	(-) 6.71	(-) 2.55	27.11	2.55	0.61
	• कर-भिन्न राजस्व	2,403.11	3,506.74	4,130.56	3,699.60	6,201.35
	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	9.95	45.93	17.79	(-) 10.43	67.62
	कुल	26,145.37	26,643.23	33,538.70	33,857.58	36,543.01
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्तियों में हिस्सा	58,880.59	65,083.38	73,603.13	63,406.33	59,987.24 ¹
	• सहायता अनुदान ²	20,559.02	25,720.13	24,651.62	26,968.62	31,763.88 ³
	कुल	79,439.61	90,803.51	98,254.75	90,374.95	91,751.12
3.	कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 और 2)	1,05,584.98	1,17,446.74	1,31,793.45	1,24,232.53	1,28,294.13
4.	3 से 1 की प्रतिशतता	25	23	25	27	28
5.	कुल राजस्व प्राप्तियों से कर राजस्व की प्रतिशतता	22	20	22	24	24


(स्रोत : वित्त लेखे, बिहार सरकार)

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 में कर राजस्व में वृद्धि का कारण मुख्यरूप से वाणिज्य कर में ₹ 5,561.78 करोड़, वाहन पर कर में ₹ 486.43 करोड़ और व्यवसाय, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार में ₹ 38.53 करोड़ का वृद्धि था।

- पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2020-21 के वित्त लेखा में विवरणी संख्या-14-लघु शीर्ष-वार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष-0005 केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (₹ 17788.69 करोड़), 0020-निगम कर (₹ 18062.14 करोड़), 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 18517.49 करोड़), 0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर (₹ 125.81 करोड़), 0032-सम्पत्ति पर कर (₹ 0.00 करोड़), 0037-सीमा शुल्क (₹ 3179.93 करोड़), 0038-संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 2012.03 करोड़), 0044-सेवा कर (₹ 258.09 करोड़) एवं 0045-वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (₹ 43.06 करोड़) के अन्तर्गत लघु शीर्ष 901-निवल प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा।
- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ, वित्त आयोग अनुदान एवं अन्य स्थानांतरण/अनुदान (भारत सरकार से प्राप्त माल एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति भी शामिल हैं)।
- माल एवं सेवा कर लागू होने के कारण ₹ 4,359.28 करोड़ के राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति शामिल है।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2016-21 के दौरान कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 4.20 प्रतिशत एवं 26.17 प्रतिशत थी।

वर्ष 2020-21 के लिए राज्य के राजस्व का ब्योरा चार्ट संख्या 1.1 में दिया गया है:



1.1.2 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों एवं उद्ग्रहीत कर राजस्वों का विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2
कर-राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	निम्न की तुलना में वर्ष 2020-21 की वास्तविकी में वृद्धि (+)/ह्रास (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2020-21 के बजट अनुमान	2019-20 की वास्तविकी
1.	राज्य माल एवं सेवा कर	-	0.00	15,000.00	17,812.00	20,800.00	(-) 22.84	1.58
			6,746.96	15,288.06	15,800.53	16,050.23		
2.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	14,021.33	24,400.00	7,890.00	7,150.00	5,830.00	3.45	(-) 1.47
		11,873.51	8,298.10	6,584.24	6,121.43	6,031.42		
3.	माल एवं यात्रियों पर कर ⁴	7,211.96	0.00	0.00	50.00	20.00	(-) 71.6	(-) 75.15
		6,245.62	1,644.85	398.74	22.86	5.68		
4.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	88.90	0.01	0.02	(-) 0.01	0.00	-	(-) 90.16
		81.08	20.51	1.16	14.33	1.41		
उप-कुल (1, 2, 3 और 4)		21,322.19	24,400.01	22,890.02	25,011.99	26,650.00		
		18,200.21	16,710.42	22,272.20	21,959.15	22,088.74		
5.	राज्य उत्पाद ⁵	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	(-) 6.76
		29.66	(-) 3.43	(-) 9.63	(-) 4.14	(-) 4.42		
6.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	3,800.00	4,600.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	(-) 10.50	(-) 9.75
		2,981.95	3,725.66	4,188.61	4,660.98	4,206.32		


⁴ 2020-21 की अवधि के दौरान वस्तु एवं यात्री पर कर के अन्तर्गत सभी प्राप्तियाँ प्रवेश कर से हैं, जिसे 1.7.2017 से हटा दिया गया एवं माल एवं सेवा कर में सम्मिलित किया गया।

⁵ बिहार में अप्रैल 2016 से शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई।

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	निम्न की तुलना में वर्ष 2020-21 की वास्तविकी में वृद्धि (+)/हास (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2020-21 के बजट अनुमान	2019-20 की वास्तविकी
7.	वाहनों पर कर	1,500.00 1,256.67	1,800.00 1,599.51	2,000.00 2,085.94	2,500.00 2,712.75	2,500.00 2,267.75	(-) 9.29	(-) 16.40
8.	भू-राजस्व	330.00 971.12	600.00 778.65	1,000.00 476.80	1,100.00 275.28	500.00 302.37	(-) 39.53	9.84
9.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	590.04 223.90	501.09 239.16	310.00 269.17	350.00 439.54	250.00 1,355.09	442.04	208.30
10.	आय एवं व्यय पर अन्य कर-पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर	88.03 78.75	100.00 86.52	102.00 125.05	138.00 114.42	150.00 125.81	(-) 16.13	9.95
कुल		29,730.26 23,742.26	32,001.10 23,136.49	31,002.02 29,408.14	33,799.99 30,157.98	34,750.00 30,341.66	(-) 12.69	0.61

(स्रोत: वित्त लेखे, बिहार सरकार और राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों)

वर्ष 2020-21 के लिए राज्य के कर राजस्व का ब्योरा चार्ट संख्या: 1.2 में दिया गया है:



तालिका 1.2 से यह परिलक्षित होता है कि 2020-21 के दौरान कर राजस्व के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमान एवं वास्तविकी में काफी भिन्नताएँ थी जो यह दर्शाता है कि बजट को वास्तविकता के आधार पर तैयार नहीं किया गया था। विभाग ने सूचित किया है कि विद्युत पर कर एवं शुल्क के अन्तर्गत भिन्नताओं का मुख्य कारण पूर्व वर्षों की बकाया राशि ₹ 637.91 करोड़ की वसूली थी।

1.1.3 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों एवं उद्ग्रहीत कर-भिन्न राजस्वों का विवरण तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।


तालिका 1.3
कर-भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	निम्न की तुलना में वर्ष 2020-21 की वास्तविकी में वृद्धि (+) या ह्रास (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2020-21 के बजट अनुमान	2019-20 की वास्तविकी
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1,100.00 997.60	1,350.00 1,082.67	1,600.00 1,560.65	1,600.00 1,572.07	2,450.00 1,708.93	(-) 30.25	8.71
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	365.78 939.91	619.25 1,577.24	2,187.39 1,371.94	2,293.84 1,416.48	2,080.55 3,240.62	55.76	128.78
3.	पुलिस	31.74 42.16	41.53 86.04	46.19 30.41	52.50 96.31	32.00 122.85	283.91	27.56
4.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	23.35 99.88	256.32 25.84	20.10 46.80	22.62 137.39	63.79 27.88	(-) 56.29	(-) 79.71
5.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ ⁶	819.87 323.56	567.21 734.95	592.21 1,120.76	837.51 477.35	612.94 1,101.07	79.64	130.66
कुल प्राप्ति		2,403.11	3,506.74	4,130.56	3,699.60	6,201.35		

(स्रोत: वित्त लेखे बिहार सरकार के अनुसार वास्तविक प्राप्ति एवं बिहार सरकार के राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों के विवरणी के अनुसार बजट अनुमान)

2020-21 में राज्य के कर-भिन्न राजस्व का ब्योरा चार्ट संख्या 1.3 में दिया गया है।



⁶ अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में 2020-21 के दौरान निम्नांकित शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति शामिल हैं: सड़क तथा सेतु (₹ 90.61 करोड़), चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य (₹ 41.80 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 48.16 करोड़), वानिकी तथा वन्य प्राणी (₹ 15.53 करोड़), शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 11.50 करोड़), लोक सेवा आयोग (₹ 87.92 करोड़), अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ (₹ 26.36 करोड़), पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली (₹ 2.24 करोड़), फसल कृषि (₹ 8.47 करोड़), वृहत सिंचाई (₹ 24.07 करोड़), मध्यम सिंचाई (₹ 16.07 करोड़), श्रम रोजगार एवं कौशल विकास (₹ 11.36 करोड़), कारा (₹ 30.58 करोड़), मत्स्य पालन (₹ 16.86 करोड़), विविध सामान्य सेवाएँ (₹ 33.57 करोड़), जलापूर्ति तथा सफाई (₹ 9.59 करोड़), आवास (₹ 4.29 करोड़), शहरी विकास (₹ 0.15 करोड़), सूचना तथा प्रचार (₹ 0.14 करोड़), सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 0.06 करोड़), पशुपालन (₹ 0.67 करोड़), सहकारिता (₹ 6.17 करोड़), भूमि सुधार (₹ 0.14 करोड़), लघु सिंचाई (₹ 3.43 करोड़), नागर विमानन (₹ 3.15 करोड़), सड़क परिवहन (₹ 0.11 करोड़), पर्यटन (₹ 0.00 करोड़), ग्राम तथा लघु उद्योग (₹ 0.10 करोड़), उद्योग (₹ 0.11 करोड़), सिविल आपूर्ति (₹ 0.01 करोड़), लोक कार्य (₹ 4.79 करोड़), लेखन सामग्री एवं छपाई (₹ 0.05 करोड़) एवं लाभांश एवं लाभ (₹ 603.01 करोड़)।

व्यापक भिन्नताओं के कारणों की चर्चा नीचे की गई है:-

पुलिस प्राप्तियाँ : लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019-20 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में 2020-21 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण मुख्यरूप से फीस, जुर्माना एवं जब्ती के तहत अधिक प्राप्ति था।

अन्य प्रशासनिक सेवाएँ : लेखापरीक्षा ने पाया कि वास्तविक प्राप्ति में पूर्व वर्षों की तुलना में 79.71 प्रतिशत के कमी का मुख्य कारण चुनाव उप शीर्ष के तहत प्राप्ति में ₹ 117.76 करोड़ की कमी था।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

प्रमुख राजस्व शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2021 को बकाया राजस्व ₹ 3,180.63 करोड़ था जिसमें से ₹ 1,056.31 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित था, जिसका ब्यौरा तालिका 1.4 में वर्णित है।

तालिका 1.4
राजस्व के बकाये

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2021 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2021 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	संबंधित विभागों द्वारा बताये गये लम्बित मामलों की अवस्थाएँ
1.	बिक्री, ब्यापार आदि पर कर	2,087.14	979.27	₹ 2,087.14 करोड़ में से ₹ 305.99 करोड़ की माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 357.83 करोड़ एवं ₹ 228.37 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों और सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी, ₹ 3.73 करोड़ कर निर्धारितियों/व्यवसायियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी, ₹ 7.94 करोड़ को बट्टे खाते में डालना संभावित था एवं ₹ 1,183.28 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
2.	माल एवं यात्रियों पर कर	171.84	45.22	₹ 171.84 करोड़ में से ₹ 35.38 लाख की माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किये गए थे, ₹ 23.06 करोड़ एवं ₹ 11.23 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों और सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 137.19 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
3.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	0.20	0.20	₹ 0.20 करोड़ में से ₹ 5.61 लाख की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गयी थी एवं ₹ 14.15 लाख अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
4.	वाहनों पर कर	172.33	—	परिवहन विभाग ने पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित बकायों का विवरण नहीं दिया। विभाग ने लंबित बकाये की अवस्थाओं को भी नहीं बताया। यह दर्शाता है कि विभाग वर्ष-वार अभिलेख का संधारण नहीं कर रहा है।
5.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	2.88	1.97	₹ 2.88 करोड़ में से ₹ 1.67 करोड़ की माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किये गए थे एवं ₹ 1.21 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
6.	भू-राजस्व	267.65	—	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित बकायों का विवरण नहीं दिया। विभाग ने लंबित बकाये की अवस्थाओं को भी नहीं बताया। यह दर्शाता है कि विभाग वर्ष-वार अभिलेख का संधारण नहीं कर रहा है।
7.	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस	19.41	10.70	₹ 19.41 करोड़ में से ₹ 16.87 करोड़ की माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किये गए थे एवं ₹ 6.83 करोड़ की वसूली पर न्यायालयों द्वारा रोक लगाई गई थी।

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2021 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2021 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	संबंधित विभागों द्वारा बताये गये लम्बित मामलों की अवस्थाएँ
8.	राज्य उत्पाद	48.89	18.95	₹ 48.89 करोड़ में से ₹ 38.85 करोड़ की माँग के लिए बकाये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 4.70 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गयी थी, ₹ 0.14 करोड़ कर निर्धारितियों/व्यवसायियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गयी थी, ₹ 0.36 करोड़ को बट्टे खाते में डाला जाना था ₹ 4.84 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
9.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	410.29	—	खान एवं भूतत्व विभाग ने पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित बकायों का विवरण नहीं दिया। विभाग ने लंबित बकाये की अवस्थाओं को भी नहीं बताया। यह दर्शाता है कि विभाग वर्ष-वार अभिलेख का संधारण नहीं कर रहा है।
कुल		3,180.63	1,056.31	

(स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना)

1.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग के अनुदेशों के हस्तक (1998) के अनुसार, विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर इसके विधान सभा के समक्ष उपस्थापित होने के दो महीने के भीतर कार्रवाई शुरू करनी है तथा उसके उपरांत लोक लेखा समिति के विचारार्थ सरकार व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करेगी। फिर भी, राज्य विधान मंडल के समक्ष जुलाई 2011 तथा जुलाई 2021 के बीच प्रस्तुत 2009-10 से 2018-19 तक के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित 266 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (विभागों के उत्तर) पाँच माह से अधिक के विलंब से समर्पित की गईं। जुलाई 2021 को, विभिन्न विभागों⁷ से संबंधित लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का वर्णन तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका-1.5
लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

क्र. सं.	को समाप्त हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं	कंडिकाओं की संख्या जहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं
1.	31 मार्च 2010	20.07.2011	26	26	0
2.	31 मार्च 2011	06.08.2012	35	35	0
3.	31 मार्च 2012	08.01.2013	38	37	1
4.	31 मार्च 2013	21.02.2014	41	39	2
5.	31 मार्च 2014	24.12.2014	44	39	5
6.	31 मार्च 2015	18.03.2016	39	35	4
7.	31 मार्च 2016	27.03.2017	42	20	22
8.	31 मार्च 2017	29.11.2018	36	8	28
9.	31 मार्च 2018	16.03.2020	28	1	27
10.	31 मार्च 2019	29.07.2021	13	0	13
कुल			342	240	102

⁷ वाणिज्य कर (62 कंडिकाएँ); मद्य-निषेध, उत्पाद एवं निबंधन (छ: कंडिकाएँ); परिवहन (सात कंडिकाएँ); राजस्व एवं भूमि सुधार (19 कंडिकाएँ) एवं खनन एवं भूतत्व (आठ कंडिकाएँ)।

यह देखा गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये अवलोकनों पर राजस्व की वसूली हेतु यद्यपि विभागों ने कार्रवाई शुरू की, परन्तु लगातार होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए विभागों द्वारा किसी भी स्तर पर सुधारात्मक उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2009-10 से 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 64 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा की तथा ऊपर वर्णित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित वाणिज्य-कर विभाग, मद्य-निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग और परिवहन विभाग से संबंधित 52 कंडिकाओं पर अनुशंसाएँ दिए, जिन पर विभागों से कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ने मुख्य सचिव, बिहार सरकार के संबंधित विभाग के लेखापरीक्षा अवलोकनों पर स्व-व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ एवं लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों को समय पर समर्पित करने हेतु अनुरोध किया था (फरवरी 2022)। लेखापरीक्षा के अनुरोध के आलोक में वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा अवलोकनों पर स्व-व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ एवं लोक लेखा समिति के सिफारिशों पर कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ जमा करने हेतु निर्देश (मार्च 2022) जारी किया।

अनुशंसा: राज्य सरकार, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए त्रुटियों और प्रणाली दोषों तथा राजस्व के रिसाव को बंद करने के लिए, कार्रवाई प्रारंभ कर सकती हैं, तथा यह सुनिश्चित करे कि लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर सभी विभाग तत्परता से कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ तैयार करें।

1.4 लेखापरीक्षा पर विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

1.4.1 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

सरकारी विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा के समापन पर लेखापरीक्षा संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करता है, साथ ही सुधारात्मक कार्रवाई और इसके अनुश्रवण हेतु उनके उच्च अधिकारियों को इनकी प्रतियाँ निर्गत की जाती हैं। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों के प्रमुख एवं सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है। 2011-12 से 2020-21 के दौरान निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा में पता चला कि मार्च 2021 के अंत तक 2,899 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 24,332 कंडिकाएँ लंबित थी। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में संभावित वसूली योग्य राजस्व ₹ 29,868.12 करोड़ तक है जबकि राज्य का 2020-21 का संपूर्ण राजस्व संग्रहण ₹ 36,543.01 करोड़ है। राज्य सरकार के राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्णन तालिका 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.6
विभाग-वार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य-कर	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर प्रवेश कर विद्युत शुल्क मनोरंजन कर	493	10,390	12,783.15
2.	मद्य-निषेध एवं उत्पाद	राज्य उत्पाद	362	1,583	1,160.16
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	842	5,468	11,116.01

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	391	3,120	23.75
5.	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	409	1,347	1,348.97
6.	खान एवं भूतत्व	खनन प्राप्तियाँ	402	2,424	3,436.08
कुल			2,899	24,332	29,868.12

यहाँ तक कि 2007-08 और उससे आगे निर्गत किये गये ₹ 18,614.56 करोड़ तक के संभावित राजस्व से सन्निहित 1,201 निरीक्षण प्रतिवेदनों (10,385 लेखापरीक्षा अवलोकन) के प्रथम उत्तर जो कार्यालयों के प्रधानों से प्राप्त होने थे, प्राप्त नहीं हुए (जून 2021)। विभागवार विवरण तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण जिनके प्रथम उत्तर लंबित हैं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य-कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	96	2,963	4,710.66
		प्रवेश कर			
		विद्युत शुल्क			
		मनोरंजन कर			
2.	मद्य-निषेध एवं उत्पाद	राज्य उत्पाद	65	361	211.78
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	557	3,829	9,613.47
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	252	2,072	1,915.11
5.	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	131	417	963.90
6.	खान एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	100	743	1,199.64
कुल			1,201	10,385	18,614.56

अनुशंसा:

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली आरंभ कर सकती है कि विभागीय अधिकारी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन तत्परता से करें, सुधारात्मक कार्रवाई करें तथा लेखापरीक्षा अवलोकनों के शीघ्र निष्पादन हेतु लेखापरीक्षा समिति के बैठक के माध्यम से लेखापरीक्षा के साथ निकटता से कार्य करें।

1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2020-21 के दौरान वाणिज्य-कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, भू-राजस्व एवं खनिज प्राप्तियों से संबंधित राज्य सरकार के छः विभागों के 1,359 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 39 (2.87 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई।

लेखापरीक्षा ने 669 मामलों में कुल ₹ 486.29 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि का पता लगाया जिसे निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागों को सूचित किया गया। संबंधित विभागों ने 679 मामलों में ₹ 187.28 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया (अप्रैल 2020 एवं मार्च 2021 के मध्य) जो पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। विभागों ने विगत वर्षों के 164 मामलों में ₹ 9.69 करोड़ की वसूली (अप्रैल 2020 एवं मार्च 2021 के मध्य) प्रतिवेदित की गई।

1.6 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में 10 कंडिकाएँ, “इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ई-चालान के कार्यान्वयन के पश्चात जुर्माना/अर्थदण्ड के वसूली एवं संग्रहण” पर एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा एवं “संक्रमणकालीन क्रेडिट” पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है। प्रतिवेदन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 78.85 करोड़ है।

विभागों/सरकार ने कुल ₹ 44.88 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया है। लेखापरीक्षा अवलोकनों की चर्चा इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 से 5 में की गयी है।

बताई गई त्रुटियाँ/चूक का आधार नमूना लेखापरीक्षा है। इसलिए, विभाग/सरकार को सभी इकाईयों का यह जाँच करने के लिए व्यापक पुनरीक्षण करना चाहिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूक अन्य जगह भी मौजूद है, अगर है, तो उन्हें सुधारने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना चाहिए जो इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सके।

अध्याय 2 वाहनों पर कर

अध्याय-2: वाहनों पर कर

2.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग राज्य में वाहनों पर करों का आरोपण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989, बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1994 और बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली 1994 के अनुसार करता है। विभाग का नेतृत्व सरकार के स्तर पर प्रधान सचिव और विभाग के शीर्ष स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाता है। मुख्यालय में राज्य परिवहन आयुक्त की सहायता, दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्तों द्वारा की जाती है। राज्य को नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों¹ तथा 38 जिला परिवहन कार्यालयों में बाँटा गया है। उन्हें मोटर वाहन निरीक्षक सहायता करते हैं। राज्य में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों का मुख्य कार्य वाहनों को रोड परमिट निर्गत करना है और मोटर वाहनों का निबंधन, करों व शुल्कों का आरोपण एवं संग्रहण तथा चालक अनुज्ञप्ति निर्गत करने का उत्तरदायित्व, जिला परिवहन पदाधिकारियों को सौंपा गया है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा ने परिवहन विभाग की 49 इकाईयों में से नौ² के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। लेखापरीक्षा जाँच में करों और सड़क सुरक्षा उपकरणों की नहीं/कम वसूली, परिवहन वाहनों से उद्ग्रहणीय कर वसूल नहीं किया जाना एवं अन्य अनियमितताओं में सन्निहित ₹ 277.09 करोड़ (158 अवलोकन) उजागर हुए। नवम्बर 2020 एवं सितम्बर 2021 के मध्य "इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ई-चालान के कार्यान्वयन के पश्चात जुर्माना/अर्थदण्ड के वसूली एवं संग्रहण" पर एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा भी की गई। विवरणी तालिका 2.1 में दिखाया गया है।

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणियाँ	अवलोकनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	"इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ई-चालान के कार्यान्वयन के पश्चात जुर्माना/अर्थदण्ड के वसूली एवं संग्रहण" का एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा	1	26.02
2.	मोटर वाहन करों का नहीं/कम आरोपण	29	26.85
3.	तिपहिया वाहनों से एकमुश्त कर का नहीं/कम आरोपण	2	0.02
4.	फीस, जुर्माना एवं अर्थदण्ड का अधिरोपण नहीं होना	49	120.18
5.	व्यापार कर का नहीं/कम वसूली	1	0.23
6.	अन्य मामले	76	103.79
कुल		158	277.09

2020-21 के मामलों और पहले के वर्षों के शेष मामलों के जवाब अप्राप्त थे (मार्च 2022)।

¹ भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और सहरसा।

² जिला परिवहन कार्यालय— भोजपुर, बेगूसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा और वैशाली।

2.3 “इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ई-चालान के कार्यान्वयन के पश्चात जुर्माना/अर्थदण्ड के वसूली एवं संग्रहण” पर एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा

2.3.1 परिचय

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 के अनुसार निर्धारित नियमावली का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों एवं चालकों से अर्थदण्ड/जुर्माने के आरोपण एवं वसूली करने को प्रावधित करता है। दोष के लिए जुर्माना/अर्थदण्ड का आरोपण मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय XIII (संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा यथासंशोधित) और बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 द्वारा नियंत्रित होता है।

पारदर्शिता लाने और नागरिकों को उपयोगकर्ता के अनुकूल सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सुविधाएँ प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग, बिहार सरकार ने ऑनलाइन ई-चालान द्वारा जुर्माने के आरोपण और संग्रहण करने के लिए वेब-आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यानी हैंड-हेल्ड डिवाइस³ की शुरुआत (अगस्त 2018 और फरवरी 2020 के मध्य) की गई। परिवहन विभाग ने वेब आधारित हैंड-हेल्ड डिवाइस के कार्यान्वयन के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेन्स कॉरपोरेशन बैंक का चयन (दिसम्बर 2019) किया। हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से संग्रह किए गए जुर्माने को “ऑनलाइन सरकारी राजस्व लेखाप्रणाली” के माध्यम से दैनिक/अगले कार्य दिवस में सरकारी खाते में जमा किया जाना है।

“इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ई-चालान के कार्यान्वयन के पश्चात जुर्माना/अर्थदण्ड के वसूली एवं संग्रहण” का लेखापरीक्षा अप्रैल 2019 से अगस्त 2021 के अवधि के लिए किया गया (अक्टूबर 2020 तथा सितम्बर 2021 के मध्य)।

2.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा इस तथ्य को सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि क्या:

- हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माने लगाने का उद्देश्य प्राप्त किया गया।
- हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से वसूले गए राजस्व को बिहार वित्तीय नियमावली में वर्णित नियम के अनुसार सरकारी खाते में प्रेषित किया गया।
- सामान्य जन को ऑनलाइन भुगतान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा प्रदान की गई।
- सरकारी खाते में हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माने के आरोपण, संग्रहण और प्रेषण की निगरानी के लिए वर्तमान प्रणाली की प्रभावशीलता।

2.3.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं:

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988;
- मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019;
- बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994;
- विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाएँ, परिपत्र, कार्यकारी आदेश और निर्देश; और
- बिहार वित्तीय नियमावली।

³ विभाग के प्रवर्तन स्कंध की क्षमता बढ़ाने और स्थल पर चालान जारी करने में पारदर्शिता लाने के लिए हैंड-हेल्ड डिवाइस की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य यातायात उल्लंघन के मामले में चौबीसों घंटे चालान जारी करने की सुविधा देना भी था।

2.3.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

38 जिलों में से, एक चेक-पोस्ट सहित ₹ 10 करोड़ से अधिक के राजस्व प्राप्ति वाले 10 जिलों को लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग को भी सर्वोच्च इकाई होने के कारण लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। इसके अलावा, जिला परिवहन कार्यालय, भोजपुर को प्रिंट मीडिया कवरेज के आधार पर और पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना के कार्यालय को हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माने के आरोपण एवं संग्रहण के लिए परिवहन विभाग द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के आलोक में चयनित किया गया था।

लेखापरीक्षा पद्धति में शीर्ष इकाई (राज्य परिवहन आयुक्त) और क्षेत्र इकाईयों (जिला परिवहन कार्यालयों) में हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माना/अर्थदण्ड के आरोपण और संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की जाँच, लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी करना और लेखापरीक्षित ईकाईयों से जवाब प्राप्त करना शामिल था।

2.3.5 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचना और अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग के सहयोग को स्वीकार करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.3.6 संग्रह किए गए जुर्माने के प्रेषण में अनियमितताएँ

हैंड-हेल्ड डिवाइस द्वारा ई-चालान के माध्यम से वसूले गए ₹ 6.27 करोड़ सरकारी खाते में प्रेषित नहीं किए गए। हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से संग्रह किए गए राशि के लिए खाता/रोकड़ बही का रख-रखाव न करने के कारण सरकारी खाते में ₹ 7.03 करोड़ के प्रेषण का सत्यापन नहीं किया जा सका।

2.3.6.1 बैंक खाते में राजस्व का अनियमित रूप से रखा जाना

बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 37 प्रावधित करता है कि सभी लेन-देन को तुरंत खाते में लाया जाना चाहिए और प्राप्त राशि को सरकारी खाते में विधिवत जमा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, परिवहन विभाग के निर्देश (फरवरी 2020) में वर्णित है कि हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से प्राप्त राशि को लेनदेन के अगले दिन ऑनलाइन सरकारी राजस्व खाता पद्धति के माध्यम से सरकारी खाते में प्रेषित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माने का संग्रहण के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेन्स कॉरपोरेशन बैंक में खातों की जाँच (अप्रैल 2020 और अगस्त 2021 के मध्य) की गई और पाया कि जिला परिवहन कार्यालय, पटना में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेन्स कॉरपोरेशन बैंक में हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जमा (मार्च 2020 और अगस्त 2021 के मध्य) ₹ 4.76 करोड़ सरकारी खाते के स्थान पर जुलाई 2020 से जुलाई 2021 के दौरान जिला परिवहन कार्यालय, पटना के इंडियन बैंक खाते में अंतरित किये गये थे।

इसी प्रकार, जिला परिवहन कार्यालय, गोपालगंज, में हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेन्स कॉरपोरेशन बैंक में जमा (मार्च 2020 से मार्च 2021) ₹ 81.19 लाख दिसम्बर 2020 से मार्च 2021 के दौरान सरकारी खाते के स्थान पर जिला परिवहन कार्यालय, गोपालगंज के भारतीय स्टेट बैंक खाते में अंतरित किये गये थे। यह बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 37 और परिवहन विभाग के निर्देश का उल्लंघन था जो यह निर्धारित करता है कि वसूल किया गया राजस्व को लेनदेन के अगले दिन तक सरकारी खाते में निश्चित रूप से जमा किया जाना चाहिए।

⁴ बेगूसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर और वैशाली।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने जवाब दिया (अगस्त 2021) कि वसूल किया गया राजस्व भविष्य में समय पर जमा किया जाएगा। हालाँकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने पहले से वसूले गए राजस्व को सरकारी खाते के स्थान पर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के दूसरे बैंक खाता (इंडियन बैंक) में क्यों अंतरित किये गये। इसके अलावा, जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज ने एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद 5 अप्रैल 2021 को ₹ 81.19 लाख की पूरी राशि सरकारी खाते में प्रेषित कर दिया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (फरवरी 2022); जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

2.3.6.2 हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से वसूले गए राजस्व का कम/विलम्ब से प्रेषित किया जाना

मुजफ्फरपुर में, लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन यातायात प्राधिकारियों ने जुलाई 2020 और दिसम्बर 2020 के मध्य ₹ 23.57 लाख संग्रह किए। हालाँकि, केवल ₹ 18.90 लाख की राशि सरकारी खाते में प्रेषित की गई थी। लेखा के उचित विवरण के बिना सरकारी खाते से ₹ 4.67 लाख खाते से बाहर रह गए। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि संग्रहित राशि चार महीने तक के विलम्ब से जमा किया गया था।

पूर्णिया जिले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन यातायात प्राधिकारियों ने जुलाई 2020 और दिसम्बर 2020 के दौरान ₹ 35.41 लाख का जुर्माना संग्रह किया लेकिन केवल ₹ 34.60 लाख तीन महीने के विलम्ब से सरकारी खाते में प्रेषित किये और शेष ₹ 0.81 लाख लेखा के विवरण के बिना सरकारी खाते से बाहर रहे जो सरकारी धन के रिसाव के जोखिम से भरा था।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक यातायात, पटना में लेखापरीक्षा ने पाया कि परिवहन विभाग ने लंबित ई-चालानों के निष्पादन से राजस्व के संग्रहण के लिए पुलिस अधीक्षक (यातायात) को एक कैशियर उपयोगकर्ता पहचान पत्र जारी किया। पुलिस अधीक्षक ने लंबित चालानों के निष्पादन के लिए इस उपयोगकर्ता पहचान पत्र को अन्य तीन अधिकारियों के साथ साझा किया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि पुलिस अधीक्षक (यातायात) कार्यालय में, परिवहन विभाग द्वारा आवंटित एकल कैशियर उपयोगकर्ता पहचान पत्र पर चार ई-कैशियर काम कर रहे थे। अप्रैल 2019 और अगस्त 2021 की अवधि के मध्य, उन्होंने लंबित ई-चालान के निष्पादन से ₹ 2.49 करोड़ की नगद राशि संग्रह किया। संग्रहित राशि को विलम्ब से निर्धारित बैंक खातों में जमा किया गया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि संग्रहित जुर्माना बैंक में जमा करते समय रोकड़पाल ने ₹ 6.27 लाख तक की राशि रोक कर रखा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने के बाद, संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों और पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना ने कहा (दिसम्बर 2020 और अक्टूबर 2021 के मध्य) कि संबंधित यातायात प्राधिकारियों को सरकारी खाते में राजस्व के ससमय प्रेषण के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर ने कहा कि मामले से विभाग को अवगत करा दिया जाएगा। हालाँकि अनधिकृत रूप से सरकारी धन को अपने कब्जे में रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर जवाब नहीं दिया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (फरवरी 2022); जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

2.3.6.3 जुर्माने के माध्यम से संग्रह की गई राशि के लिए लेखा/रोकड़ बही का रखरखाव नहीं करना

लेखापरीक्षा ने 10 जिला परिवहन कार्यालयों⁵ और पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना में ऑनलाइन ई-चालान डाटा की जाँच की और सात जिला परिवहन कार्यालयों⁶ एवं पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना में पाया कि हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माने के रूप में

⁵ बेगूसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर और वैशाली।

⁶ गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा और समस्तीपुर।

वसूले गये (अप्रैल 2019 और जुलाई 2021 के मध्य) ₹ 55.57 करोड़ में से केवल ₹ 54.11 करोड़ सरकारी खाते में प्रेषित किये गये थे। ऑनलाइन सरकारी राजस्व खाता पद्धति के विवरण के अनुसार ₹ 1.46 करोड़ की शेष राशि सरकारी खाते में जमा नहीं पाया गया। शेष तीन जिला परिवहन कार्यालयों⁷ में फरवरी 2020 और फरवरी 2021 के मध्य हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माने के रूप में वसूले गए ₹ 7.03 करोड़ के राजस्व को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका कि यह सरकारी खाते में जमा किया गया था या नहीं क्योंकि उपयोगकर्ता-वार ऑनलाइन सरकारी राजस्व खाता पद्धति अभिलेख में नहीं पाया गया था। यह सरकारी धन के रिसाव के जोखिम से भरा है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि परिवहन विभाग के निर्देश के बावजूद किसी भी नमूना-जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में रोकड़-बही, जो कि एक महत्वपूर्ण नियंत्रण पंजी है, का रखरखाव नहीं किया गया था। तथापि, विभाग ने चूककर्ता जिला परिवहन पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने कहा कि हैंड-हेल्ड डिवाइस के सभी उपयोगकर्ताओं को रोकड़ बही के रखरखाव के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि लेखापरीक्षा को सूचना देते हुए अंतर राशि का मिलान किया जाएगा।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (फरवरी 2022); जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

अनुशंसा: सरकारी खाते में सीधे जमा करने की व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए।

2.3.7 लंबित चालानों में अनियमित संशोधन के फलस्वरूप जुर्माने में कमी

₹ 1.97 करोड़ मूल्य के 3,061 चालानों में अनियमित रूप से संशोधन किया गया और भुगतान नहीं किए गए जुर्माने में ₹ 90.96 लाख की कमी की गई।

परिवहन विभाग ने चालान जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा की गई किसी भी त्रुटि के मामले में चालान में संशोधन/विलोपन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की (मार्च 2020)। मानक संचालन प्रक्रिया प्रावधित करता है कि जिला परिवहन अधिकारी चालान संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी है और राज्य परिवहन आयुक्त चालान विलोपन के लिए सक्षम प्राधिकारी है। मानक संचालन प्रक्रिया चालान संशोधन/विलोपन से पहले अनुगमन की जाने वाली विस्तृत प्रक्रियाओं और चालान संशोधन/विलोपन के बाद ई-चालान पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों को भी निर्धारित करता है। परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस को केवल जुर्माना/अर्थदण्ड के आरोपण का अधिकार दिया।

लेखापरीक्षा ने पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना में ई-चालान के आँकड़ों का जाँच किया और पाया कि यातायात पुलिस, पटना ने अप्रैल 2019 से अगस्त 2021 के दौरान जुर्माना आरोपण के लिए 2,85,116 चालान जारी किए। इसमें से, ₹ 12.28 करोड़ मूल्य के 70,768 ई-चालान का निष्पादन स्थल पर नहीं किया जा सका और लंबित रहा। इन लंबित ई-चालानों में से, 2,916 चालानों को संशोधित किया गया और उसमें शामिल ₹ 1.13 करोड़ का अर्थदण्ड को कम कर ₹ 34.23 लाख कर दिया गया। ई-चालान का यह संशोधन एवं फलस्वरूप ₹ 79.38 लाख का अर्थदण्ड में कमी अनियमित था क्योंकि यातायात पुलिस चालान के संशोधन के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार चालान के संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं थे। इसके अलावा, यह संशोधन रोकड़पाल द्वारा पुलिस अधीक्षक (यातायात) को संज्ञान में लाए बिना किया गया था जैसाकि लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में उनके द्वारा जारी आदेश (24 सितम्बर 2021) से स्पष्ट है। हालाँकि, अनधिकृत रूप से संशोधन करने वाले रोकड़पाल के विरुद्ध कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई थी।

⁷ बेगूसराय, पूर्णिया और वैशाली।

आगे, 170 चालानों में, जहाँ यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था, बिना किसी दस्तावेजी सबूत के संशोधित किया गया था। यह हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माने का आरोपण एवं वसूली पर नियंत्रण तंत्र में कमी को इंगित करता है और राजस्व की हानि एवं कदाचार के जोखिम से भरा है।

इसी प्रकार, जिला परिवहन कार्यालय, पटना में, लेखापरीक्षा ने पाया कि रोकड़पाल ने 145 लंबित ई-चालानों को संशोधित किया और बिना मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किए ई-चालान के मूल्य को ₹ 83.94 लाख से कम कर ₹ 72.36 लाख कर दिया।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने के बाद, पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना ने कहा (अक्टूबर 2021) कि दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद चालान की राशि कम कर दिया गया था क्योंकि ये चालान मोटर वाहन अधिनियम की गलत धारा को लागू करते हुए जारी किए गए थे। इसके अलावा, उनके जवाब के समर्थन में लेखापरीक्षा को समर्थित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए थे। हालाँकि, तथ्य मौजूद था कि मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार पुलिस अधीक्षक (यातायात) चालान संशोधन के लिए अधिकृत नहीं थे।

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने कहा कि संबंधित कर्मी को अभिलेखों के उचित रख-रखाव एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात चालान में संशोधन के निर्देश जारी किए जाएँगे। हालाँकि, ई-चालान के अनधिकृत संशोधन के लिए पुलिस अधीक्षक (यातायात) और जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा रोकड़पाल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022); जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

अनुशंसा: विभाग को चालानों के संशोधन से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया का उचित अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

2.3.8 हस्तलिखित धन रसीद का अनधिकृत उपयोग

प्रवर्तन अवर निरीक्षक द्वारा हस्तलिखित धन रसीद के माध्यम से ₹ 0.71 लाख के जुर्माने की वसूली के बाद भी, उक्त राशि को सरकारी खाते में प्रेषित नहीं किया गया।

परिवहन विभाग ने जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (यातायात)/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को दिनांक 01 अप्रैल 2019 से हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माना एवं अर्थदण्ड संग्रह करने तथा अप्रयुक्त हस्तलिखित धन रसीदों को 30 अप्रैल 2019 तक विभाग को वापस करने का निर्देश जारी किया (मार्च 2019)।

लेखापरीक्षा ने जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना में लंबित ई-चालान और हस्तलिखित धन रसीद के लिए भंडार एवं निर्गत पंजी का जाँच किया और पाया कि प्रवर्तन अवर निरीक्षक, पटना ने 12 सितम्बर 2019 को एक वाहन मालिक को ₹ 0.76 लाख का ई-चालान जारी किया जो स्थल पर वसूल नहीं हुआ। यह लंबित चालान ई-रोकड़पाल द्वारा निर्धारित नकद काउण्टर पर वसूल किया जाना था। हालाँकि, लंबित ई-चालान को 14 सितम्बर 2019 को प्रवर्तन अवर निरीक्षक, पटना द्वारा हस्तलिखित धन रसीद (2088102KK) के माध्यम से ₹ 0.71 लाख वसूली के रूप में दिखाया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि जिला परिवहन कार्यालय, पटना के भंडार पंजी के अनुसार उक्त धन रसीद न तो किसी प्रवर्तन अवर निरीक्षक को जारी की गई थी और न ही भंडार में 100 धन रसीदों की पूरी श्रृंखला उपलब्ध थी। यद्यपि धन की वसूली हस्तलिखित धन रसीद के माध्यम से दिखाया गया था, इसे सरकारी खाते में प्रेषित नहीं किया गया था क्योंकि ई-चालान अभी भी लंबित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने कहा (दिसम्बर 2021) कि संबंधित धन रसीद प्रपत्र उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं था और यह

भी स्पष्ट नहीं था कि संबंधित धन रसीद प्रपत्र किसको जारी किया गया था। इस प्रकार, पैसे की वसूली के लिए हस्तलिखित धन रसीदों का अनधिकृत उपयोग और उसके बाद सरकारी खाते में प्रेषण नहीं होना कमजोर आंतरिक नियंत्रण और सरकारी धन के हेराफेरी द्वारा भ्रष्टाचार के संभावित तरीकों में से एक का संकेत था। यह निगरानी तंत्र की कमी को भी दर्शाता है।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022); जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

2.3.9 लम्बित चालानों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई नहीं किया जाना

चूककर्ता वाहन मालिकों/चालकों को ₹24.17 करोड़ के 71,274 ई-चालान निर्गत किये गये परन्तु उनके विरुद्ध न ही कोई कार्रवाई प्रारंभ की गई और न ही वाहन या दस्तावेजों की जब्ती के लिए कोई प्रयास किया गया।

परिवहन विभाग द्वारा निर्देश जारी किया (अगस्त 2018) जो प्रावधान करता है कि प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा मौके पर जुर्माना प्राप्त होने पर वाहन मालिकों को हस्ताक्षरित ई-चालान निर्गत किया जाएगा। दिशानिर्देश आगे 14 कार्य दिवसों तक पैसे की प्राप्ति न होने पर उचित प्रक्रिया का पालन एवं वैध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर वाहनों या दस्तावेजों को जब्त करने को प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा ने ऑनलाइन ई-चालान डाटाबेस की जाँच की और 11 जिला परिवहन कार्यालयों⁸ एवं पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना में पाया कि यातायात/ट्रैफिक प्राधिकारियों ने ₹ 24.17 करोड़ के लिए 71,274 ई-चालान सितम्बर 2018 एवं अगस्त 2021 के मध्य चूककर्ता वाहन मालिकों/चालकों को बिना वाहनों/कागजातों को जब्त किए या बिना जुर्माना प्राप्त किए निर्गत किये। लम्बित ई-चालानों की विवरणी तालिका 2.2 में दिखाया गया है।

तालिका: 2.2

लंबित ई-चालान की विवरणी

क्र० सं०	जिला परिवहन पदाधिकारी/ कार्यालय का नाम	लंबित ई-चालान की संख्या	लम्बित (दिनों में)	सम्मिलित राशि (₹ में)	के मध्य निर्गत
1.	बेगूसराय	103	19 से 350	36,40,491	02/2020 और 01/2021
2.	भोजपुर	86	54 से 250	52,95,000	02/2020 और 08/2020
3.	गोपालगंज	263	15 से 399	54,89,008	03/2020 और 03/2021
4.	मुजफ्फरपुर	169	20 से 327	71,60,500	02/2020 और 12/2020
5.	नवादा	74	16 से 378	23,81,000	02/2020 और 02/2021
6.	पटना	1,843	15 से 1078	6,25,46,220	09/2018 और 07/2021
7.	पूर्णिया	68	16 से 315	51,94,500	03/2020 और 12/2020
8.	रोहतास	348	18 से 415	2,22,84,478	02/2020 और 03/2021
9.	समस्तीपुर	351	15 से 497	1,17,12,850	02/2020 और 06/2021
10.	सहरसा	36	28 से 333	18,94,300	02/2020 और 12/2020
11.	वैशाली	81	22 से 312	26,54,700	02/2020 और 11/2021
12.	पुलिस अधीक्षक (यातायात) पटना	67,852	15 से 889	11,14,29,010	04/2019 और 08/2021
कुल		71,274		24,16,82,057	

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि संबंधित पदाधिकारियों ने चालानों के लंबित होने के 15 से 1,078 दिन बीत जाने के बावजूद कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं किया जैसा की विभाग द्वारा निर्देशित था, जबकि यह सूचना वाहन डाटाबेस में उपलब्ध थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि वाहन सॉफ्टवेयर में इन वाहन मालिकों से कर भुगतान, परमिट/बीमा/प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र के निर्गत/नवीनीकरण को रोकने के लिए विशेष वेलीडेशन जाँच का प्रावधान नहीं

⁸ बेगूसराय, भोजपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर और वैशाली।

किया गया क्योंकि इन वाहनों के मालिक फिटनेस/परमिट/बीमा/सीमित प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए देय सड़क कर का भुगतान करते रहे।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कहा गया (अक्टूबर 2020 एवं सितम्बर 2021 के मध्य) कि प्राधिकृत पदाधिकारियों को इन चालानों के निष्पादन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत किया जाएगा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022); उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

अनुशंसा : विभाग, बकायेदारों जिनके पास चालान उनके निर्गत के 14 दिनों से अधिक समय से वसूलनीय हो, कानूनी कार्रवाई समय पर प्रारंभ करना सुनिश्चित करें।

2.3.10 बिना चालक अनुज्ञप्ति के वाहन चलाने पर जुर्माना न लगाया जाना

संबंधित प्राधिकारियों ने न ही 1,01,944 चालानों पर चालक अनुज्ञप्ति का उल्लेख किया और न ही बिना चालक अनुज्ञप्ति के वाहन चलाने के लिए जुर्माना लगाना सुनिश्चित किया।

मोटर वाहन अधिनियम के धारा 3 के साथ पठित धारा 181 प्रावधित करता है कि जो कोई बिना वैध चालक अनुज्ञप्ति के मोटर वाहन चलाता है उसे ₹ 5,000 जुर्माना देय होगा। परिवहन विभाग ने यातायात प्राधिकारियों को जुर्माना लगाने के लिए प्राधिकार देते समय इन यातायात प्राधिकारियों को अधिनियम के प्रावधान के अनुसार जुर्माना वसूलने के लिए निर्देश दिया। आगे, विभाग हैंड-हेल्ड डिवाइस के लिए उपयोगकर्ता मैन्यूअल निर्गत किया (फरवरी 2020) जो चालान निर्गत करते समय हैंड-हेल्ड डिवाइस में चालक अनुज्ञप्ति संख्या शामिल करने का प्रावधान करती है।

लेखापरीक्षा ने नौ जिलों⁹ में परिवहन एवं यातायात प्राधिकारों के संबंध में ई-चालान डाटा का जाँच किया और पाया कि (सितम्बर 2019 एवं जुलाई 2021 के मध्य) नमूना-जाँचित 3,15,123 ई-चालान में से 1,01,944 मामलों में चालक अनुज्ञप्ति संख्या चालान में अभिलेखित नहीं था। संबंधित प्राधिकारियों ने बिना चालक अनुज्ञप्ति के मोटर वाहन चलाने के लिए जुर्माना नहीं लगाया।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जवाब दिया (दिसंबर 2020 एवं जुलाई 2021 के मध्य) कि मोटर वाहन अधिनियम के उपयुक्त धारा के अधीन जुर्माना लगाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया जायेगा। यद्यपि पुलिस अधीक्षक यातायात, पटना ने कहा (अक्टूबर 2021) कि चालान जारी करने के दौरान हैंड-हेल्ड डिवाइस डिफॉल्ट रूप से "No DL" मोड में चला गया इसलिए जारी चालान चालक अनुज्ञप्ति संख्या नहीं दर्शाया। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि चालान में चालक अनुज्ञप्ति संख्या नहीं रहने का कारण पुराने चालक अनुज्ञप्ति को पढ़ने में हैंड-हेल्ड डिवाइस की अक्षमता थी। जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर ने कहा कि मामले से विभाग को अवगत कराया जायेगा।

यद्यपि, चालान में चालक अनुज्ञप्ति संख्या दर्शाना सुनिश्चित किया जा सकता था क्योंकि हैंड-हेल्ड डिवाइस उपयुक्त रूप से हस्तलिखित प्रविष्टि की सुविधा देता है। चालान में चालक अनुज्ञप्ति संख्या की प्रविष्टि नहीं करना कदाचार एवं सरकारी राजस्व के हानि के खतरे का द्योतक है।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022); जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

⁹ बेगूसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा और समस्तीपुर।

2.3.11 रजौली जाँच-चौकी नवादा पर पर्यवेक्षीय नियंत्रण की विफलता

नवादा के रजौली जाँच-चौकी पर पाँच कराधान कर्मचारियों के लिए उपयोगकर्ता पहचान पत्र जारी किये गये थे लेकिन जाँच-चौकी पंजी में केवल एक उपयोगकर्ता पहचान पत्र दर्ज किया गया था। राजस्व के दैनिक पालीवार संग्रह एवं सरकारी खाते में इसके प्रेषण के लिए कोई पंजी/अभिलेख का संधारण नहीं किया गया।

परिवहन विभाग ने सभी पाँच जाँच-चौकी के जिला परिवहन पदाधिकारियों¹⁰ को ई-चालान के माध्यम से बिहार प्रवेश कर एवं जुर्माने का आरोपण एवं संग्रहण, तीन पाली ड्यूटी के लिए रोस्टर ईमानदारी से संचालित करने का निर्देश दिया (अप्रैल 2019) तथा जाँच-चौकी प्राधिकार के सभी पदाधिकारियों/अधिकारियों को उपयोगकर्ता पहचान पत्र तथा पासवर्ड उपलब्ध कराया।

लेखापरीक्षा ने रजौली जाँच-चौकी, नवादा में ई-चालान के दैनिक संग्रह के अभिलेखों का जाँच किया और पाया कि जुर्माने के आरोपण और संग्रहण के लिए पाँच कराधान कर्मचारियों को उपयोगकर्ता पहचान पत्र जारी किया गया था। इसमें से एक ही उपयोगकर्ता जाँच-चौकी पंजी में दर्ज था। इसके अलावा, राजस्व के दैनिक पाली-वार संग्रहण और सरकारी खाते में इसके प्रेषण के लिए कोई पंजी/अभिलेख संधारित नहीं किया गया था और इस प्रकार, लेखापरीक्षा राजस्व के पाली-वार वास्तविक संग्रहण को सत्यापित नहीं कर सका। हालाँकि, जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणी के अनुसार, इन उपयोगकर्ताओं द्वारा राशि संग्रह और जमा किया गया था जैसा कि तालिका 2.3 में वर्णित है।

तालिका: 2.3
जुर्माने के संग्रहण एवं प्रेषण की विवरणी

(राशि ₹ में)

उपयोगकर्ता पहचान पत्र/ कराधान पदाधिकारी का नाम	अवधि जिसके दौरान जुर्माना लगाया गया	संग्रहित जुर्माना	प्रेषित जुर्माना	शेष
कराधान 01 (श्री दिलीप कुमार)	अप्रैल 2019 से अगस्त 2020	79,63,000	79,63,000	0
कराधान 02 (श्री अनीश कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक)	अप्रैल 2019 से जून 2019	9,74,400	9,64,500	9,900
कराधान 02 (श्री हरeram कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक)	जून 2019 से दिसंबर 2019	78,90,900	78,57,000	33,900
कराधान 02 (श्री संदीप कुमार)	जनवरी 2020 से जुलाई 2020	50,21,500	50,21,500	0
कराधान 02 (श्री गरियान मृत्युंजय)	अगस्त 2020 से दिसंबर 2020	33,48,000	33,48,000	0
कराधान 03 (श्री विमल कुमार)	अप्रैल 2019 से फरवरी 2021	9,26,36,702	9,26,36,702	0
कराधान 04 (श्री अशोक कुमार पासवान, प्रवर्तन अवर निरीक्षक)	जून 2019 से जनवरी 2020	77,17,100	77,00,000	17,100
कराधान 05 (श्री ए एम सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी)	जून 2019 से सितंबर 2020	1,52,42,700	1,44,57,300	7,85,400
कुल		14,07,94,302	13,99,48,002	8,46,300

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट था कि जनवरी 2020 से फरवरी 2021 के दौरान ₹ 14.08 करोड़ जुर्माना वसूल किया गया और ₹ 13.99 करोड़ सरकारी खातों में प्रेषित किया गया एवं शेष ₹ 8.46 लाख प्रेषित नहीं किया गया। कुल अप्रेषित राशि में से ₹ 7.85 लाख स्वयं जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा संग्रह किया गया था।

¹⁰ गया, गोपालगंज, कैमूर, नवादा और पूर्णिया।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने के बाद, जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा (मार्च 2021) कि इस संबंध में समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में, कराधान पदाधिकारियों को अभिलेखों के रख-रखाव और अंतर राशि के समाधान के लिए आगे निर्देश जारी किए जाएंगे। हालाँकि, जिला परिवहन पदाधिकारी ने इस तथ्य पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से एकत्र किए गए ₹ 7.85 लाख अभी तक सरकारी खाते में प्रेषित नहीं किए गए थे। ऐसे में बकाया राशि के गबन किए जाने की संभावना है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022); जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

अनुशंसा: विभाग को चूक करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कारवाई करनी चाहिए और जाँच-चौकी पर कराधान पदाधिकारियों का पालीवार ड्यूटी के कार्य पद्धति एवं अभिलेखों के उचित रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रणाली को लागू करना चाहिए।

2.3.12 लेखे के अनुचित शीर्ष में जुमाने का प्रेषण

वाहनों पर ₹ 9.33 करोड़ के जुमाने की प्राप्तियाँ अनुचित शीर्ष में प्रेषित की गई जिससे सड़क सुरक्षा परिषद राशि ₹ 93.30 लाख की सड़क सुरक्षा कोष के अपने हिस्से से वंचित रहा।

परिवहन विभाग की अधिसूचना (मार्च 2017) में जुमाने के माध्यम से वसूले गए राजस्व को राजस्व शीर्ष 0041-00-101-0003 में प्रेषित करने का प्रावधान है। अधिसूचना में इस प्रकार संग्रहित राजस्व का 10 प्रतिशत सड़क सुरक्षा कोष में स्थानांतरित करने का भी प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने रजौली जाँच-चौकी, नवादा में ऑनलाइन ई-चालान डाटा की जाँच की और पाया कि कराधान प्राधिकारी ने अप्रैल 2019 से फरवरी 2021 के दौरान जुमाने के रूप में ₹ 9.33 करोड़ संग्रह किये और उचित राजस्व शीर्ष "0041-00-101-0003 वाहन पर जुमाने से प्राप्तियाँ" के स्थान पर राजस्व शीर्ष "0041-00-102-0010-00-01 अस्थायी परमिट वाले वाहन के प्रवेश कर से प्राप्तियाँ" में प्रेषित किया।

राजस्व के अनुचित शीर्ष के अंतर्गत जुमाने के प्रेषण के कारण, सड़क सुरक्षा परिषद ₹ 93.30 लाख की राशि के अपने हिस्से से वंचित रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने के बाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा ने कहा (फरवरी 2021) कि कराधान पदाधिकारी को उचित लेखा शीर्ष के अंतर्गत जुमाने के प्रेषण के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जाएंगे।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022); जबाव प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

2.3.13 उपयोगकर्ता की पहचान के बिना हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से ई-चालान जारी करना

उपयोगकर्ता की पहचान के बिना हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से ₹ 5.06 लाख मूल्य के 191 ई-चालान जारी किये गये, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खाते में इसके प्रेषण का सत्यापन नहीं हुआ।

नामित/प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा स्थल पर जुमाने हेतु हैंड-हेल्ड डिवाइस के उपयोग के उद्देश्य से सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को परिवहन विभाग निर्देश जारी (फरवरी 2020) किया।

लेखापरीक्षा ने जिला परिवहन कार्यालय, पटना और पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना में ऑनलाइन ई-चालान डाटा की जाँच की और पाया कि दिसंबर 2019 और अप्रैल 2021 के दौरान हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से 191 ई-चालान¹¹ (1,86,165 में से) जारी करके जुर्माना के रूप में ₹ 5.06 लाख नकद में संग्रह किया गया था, जिसमें किसी भी उपयोगकर्ता को कोई उपयोगकर्ता पहचान पत्र नहीं दिया गया था और इस प्रकार, इन हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जारी किए गए ई-चालानों पर उपयोगकर्ता का नाम या हस्ताक्षर नहीं पाया गया।

चालान पर उपयोगकर्ता का नाम/हस्ताक्षर नहीं होने के कारण, लेखापरीक्षा इन चालानों के माध्यम से संग्रहित ₹ 5.06 लाख का सरकारी खाते में प्रेषण सुनिश्चित नहीं कर सका। इसके अलावा, बिना किसी उपयोगकर्ता पहचान पत्र के ई-चालान जारी करना न केवल विभाग के निर्देशों का उल्लंघन था बल्कि हैंड-हेल्ड डिवाइस के अनधिकृत उपयोग और सरकारी धन के परिणामी गबन के जोखिम से भरा हुआ था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने के बाद, पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना ने कहा (अक्टूबर 2021) कि उपयोगकर्ता पहचान पत्र परिवहन विभाग द्वारा आवंटित किया गया था और विभाग द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना ने यह भी कहा कि ₹ 1.62 लाख में से ₹ 0.78 लाख बैंक खाते में जमा किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने कहा कि संग्रह की गई राशि राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की सहायता से उपयोगकर्ता पहचान पत्र की पहचान के बाद जमा की जाएगी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022); जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

2.3.14 डिजिटल मोड के माध्यम से न्यूनतम स्तर पर जुर्माने की वसूली

वसूली गई कुल राशि का केवल 11.86 प्रतिशत ही आठ जिलों में नामित बैंक को डिजिटल रूप से हस्तांतरित किया गया।

हैंड-हेल्ड डिवाइस के उपयोग का एक उद्देश्य परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देश (फरवरी 2020) के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ प्रदान करना और ऑनलाइन भुगतान सेवा प्रदान करना था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जिला परिवहन कार्यालयों को स्थल पर जुर्माने की वसूली एवं संग्रहण के लिए हैंड-हेल्ड डिवाइस और नकद काउंटरो पर जुर्माना, शुल्क आदि की वसूली के लिए प्वाइंट ऑफ सेल मशीन प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा ने आठ जिला परिवहन कार्यालयों¹² में अभिलेखों की जाँच की और पाया कि अप्रैल 2019 और जुलाई 2021 के बीच की अवधि के दौरान स्थल पर और नकद काउंटरो के माध्यम से वसूले गए ₹ 39.52 करोड़ के कुल जुर्माने में से, केवल ₹ 4.68 करोड़ (11.86 प्रतिशत) को डिजिटल रूप से हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेन्स कॉरपोरेशन बैंक के निर्दिष्ट खाते में स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार, एक वर्ष से अधिक की समाप्ति के बाद भी डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान न्यूनतम स्तर पर था। लेखापरीक्षा ने डिजिटल मोड के माध्यम से कम भुगतान के कारणों की जाँच की और पाया कि आठ जिला परिवहन कार्यालयों¹³ में कार्यालय काउंटरो पर जुर्माने की वसूली के लिए प्वाइंट ऑफ सेल मशीन को स्थापित तक नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आठ जिला परिवहन कार्यालयों¹⁴ में यह दर्शाने वाला हैंड-हेल्ड डिवाइस की संचालन पंजी नहीं थी कि कौन सा उपकरण किस प्राधिकारी को जारी किया गया था और यह उपकरण कब उन प्राधिकारियों द्वारा वापस किया गया था। इस सूचना के नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि किस प्राधिकारी द्वारा कितना राशि का आरोपण एवं संग्रहण किया गया।

¹¹ जिला परिवहन कार्यालय, पटना: ₹ 3,44,201 के लिए 41 ई-चालान और पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना: ₹ 1,61,500 के लिए 150 ई-चालान।

¹² बेगूसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा और समस्तीपुर।

¹³ बेगूसराय, गोपालगंज, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर और वैशाली।

¹⁴ बेगूसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा और समस्तीपुर।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने के बाद, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने कहा कि डिजिटल भुगतान सेवा के लिए प्वाइंट ऑफ सेल मशीन कार्यालय के सभी नकद काउंटरो पर स्थापित की जाएगी और हैंड-हेल्ड डिवाइस के लिए संचालन पंजी का रख-रखाव किया जाएगा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022); जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

2.3.15 निष्कर्ष

ई-चालान के द्वारा जुर्माने के आरोपण एवं संग्रहण प्रणाली में अनेकों रिसाव हैं जिससे न केवल सरकारी राजस्व की हानि होती है, बल्कि इसमें हेराफेरी और भ्रष्टाचार की संभावना की भी गुंजाइश होती है। यह स्पष्ट दर्शाता है कि आंतरिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की कमी है। विभाग को हैंड-हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माना के आरोपण एवं वसूली से संबंधित नियमावली और कानून को लागू करने की आवश्यकता है और उसे नकद की हेराफेरी में शामिल दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने पर जोर देना चाहिए। समुचित लेखे का रख-रखाव और निगरानी की जानी चाहिए। संग्रहित राजस्व को अनियमित रूप से रोक कर रखना और विलम्ब से सरकारी खाते में प्रेषण को रोकने के लिए कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। लंबित चालानों के अनियमित संशोधन को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है और इसे केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही किया जाना चाहिए। लंबित चालानों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। विभाग को वैध चालक अनुज्ञप्ति के बिना मोटर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध जुर्माने के आरोपण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। विभाग को एक प्रणाली स्थापित करने की भी आवश्यकता है ताकि हैंड-हेल्ड डिवाइस का उचित निर्गत, प्राधिकृत पदाधिकारियों का उपयोगकर्ता पहचान और उनके उपयोग के लिए प्रभावी निगरानी को सुनिश्चित किया जा सके।

अध्याय 3
वाणिज्य-कर

अध्याय-3: वाणिज्य-कर

3.1 कर प्रशासन

राज्य में वाणिज्य-कर¹ का आरोपण एवं संग्रहण, निम्नलिखित अधिनियमों एवं उसके अंतर्गत बने नियमावली के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं:

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;
- बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;
- एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993;
- बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948;
- बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988;
- बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948;
- बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर अधिनियम, 2011; एवं
- बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007।

शीर्ष स्तर पर, वाणिज्य-कर विभाग का नेतृत्व राज्य कर आयुक्त द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता राज्य कर विशेष आयुक्त, राज्य कर अपर आयुक्त, राज्य कर संयुक्त आयुक्त और राज्य कर उपायुक्त/राज्य कर सहायक आयुक्त द्वारा की जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य को नौ² प्रशासनिक प्रमंडलों, नौ³ अपील प्रमंडलों और नौ⁴ अंकेक्षण प्रमंडलों में विभाजित किया गया है, जैसाकि वे मूल्यवर्द्धित कर अवधि में थे, प्रत्येक का नेतृत्व राज्य कर अपर आयुक्त द्वारा किया जाता है। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को आगे 50 अंचलों में उप-विभाजित किया गया है, प्रत्येक का नेतृत्व राज्य कर सहायक आयुक्तों की सहायता से राज्य कर संयुक्त आयुक्त/राज्य कर उपायुक्त द्वारा किया जाता है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा ने वाणिज्य-कर विभाग की 90 इकाइयों में से 17 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जाँच की, जिसमें 414 मामलों में सन्निहित ₹ 109.25 करोड़ की अनियमितताएँ पाई गईं जो निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि तालिका 3.1 में वर्णित है।

1 वाणिज्य-कर में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर, यात्रियों एवं वस्तुओं पर कर, विद्युत पर कर और शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर, पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल हैं।

2 भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्व, पटना पश्चिम, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

3 भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्व, पटना पश्चिम, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

4 भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्व, पटना पश्चिम, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

तालिका-3.1
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ लाख में)

क्र० सं०	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
क: बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर			
1.	कर का आरोपण नहीं एवं कम आरोपण किया जाना	40	1,015.05
2.	आवर्त का छिपाव किया जाना	29	441.01
3.	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अनुमति दिया जाना	27	497.45
4.	कर से छूट का अनियमित अनुमति दिया जाना	7	2.46
5.	अतिरिक्त कर एवं अधिभार का आरोपण नहीं या कम आरोपण किया जाना	2	557.69
6.	कर का गलत दर लगाया जाना	25	1,643.13
7.	आवर्त का गलत निर्धारण के कारण कम आरोपण	19	467.54
8.	अन्य मामले	179	5,094.51
कुल		328	9,718.84
ख: प्रवेश कर			
1.	आयात मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण	15	767.19
2.	अन्य मामले	20	302.32
कुल		35	1,069.51
ग: विद्युत शुल्क			
1.	अन्य मामले	1	0
कुल		1	0
घ: माल एवं सेवा कर			
1.	माल एवं सेवा कर का नहीं/कम आरोपण किया जाना	50	136.74
कुल		50	136.74
कुल योग		414	10,925.09

वर्ष 2020-21 के दौरान, विभाग ने 505 मामलों में ₹ 117.11 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 151 मामलों में ₹ 8.29 करोड़ की वसूली की जो कि 2020-21 के पूर्व इंगित किए गए थे। पूर्ववर्ती वर्षों के शेष मामलों एवं 2020-21 के सभी मामलों के जवाब अप्राप्त थे (मार्च 2022)।

3.3 “संक्रमणकालीन क्रेडिट” पर अनुपालन लेखापरीक्षा

3.3.1 परिचय

माल एवं सेवा कर का लागू किया जाना देश में अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार है जिसने केन्द्र एवं राज्यों द्वारा लगाए और एकत्र किए गये विभिन्न करों की जगह ली है। केन्द्र और राज्यों द्वारा एक ही कर आधार पर एक साथ कर का आरोपण किया जाता है। केन्द्रीय माल एवं सेवा कर और राज्य माल एवं सेवा कर/केन्द्रशासित प्रदेश माल एवं सेवा कर राज्यान्तर्गत आपूर्ति और एकीकृत माल एवं सेवा कर अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर आरोपित किया जाता है। कर प्राधिकरण को कर का अधिकार क्षेत्र आपूर्ति के स्थान के आधार पर है।

इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए करों का आउटपुट टैक्स देनदारी के खिलाफ समायोजन के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता, माल एवं सेवा कर की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। मौजूदा कानूनों से माल एवं सेवा कर व्यवस्था में इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, मौजूदा कानूनों के तहत भुगतान किए गए करों या शुल्क के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए करदाताओं की सुविधा के लिए माल एवं सेवा कर अधिनियमों में “इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था” को शामिल किया गया है। संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रावधान सरकार और व्यवसाय दोनों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह “सुगम व्यापार सुनिश्चित करने का” एक उपकरण है, जो माल एवं सेवा कर की महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है। यह प्रावधान करदाताओं को ऐसे इनपुट क्रेडिट को केवल तभी स्थानांतरित करने में सक्षम बनाते हैं जब उनका उपयोग व्यवसाय के सामान्य तरीके या व्यवसाय को आगे बढ़ाने में किया गया हो।

3.3.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र एव कार्यपद्धति

जुलाई 2017 से मार्च 2020 की अवधि को आवृत्त करते हुए लेखापरीक्षा का आयोजन (अप्रैल 2021 एवं अक्टूबर 2021 के मध्य) किया गया। 50 वाणिज्य-कर अंचलों में से 18 अंचलों के अभिलेखों का चयन लेखापरीक्षा जाँच के लिए किया गया।

केन्द्रीय कर क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत आने वाले 758 करदाताओं द्वारा किए गये राज्य माल एवं सेवा कर के कारण ₹ 110.55 करोड़ के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के कुल दावों में से लेखापरीक्षा ने 18 अंचलों में ₹ 79.50 करोड़ के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि अधिकार क्षेत्र में आने वाले करदाताओं और कूल राज्य माल एवं सेवा कर दावों का 72 प्रतिशत है, का दावा करने वाले 85 करदाताओं (73 सत्यापित/मूल्यांकित मामलों और 12 असत्यापित/अमूल्यांकित मामलों) के अभिलेखों की जाँच की।

3.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का आयोजन यह आकलन करने के उद्देश्य से किया गया कि:

- कर निर्धारिती द्वारा माल एवं सेवा कर अवधि में ले जाए गये संक्रमणकालीन क्रेडिट, बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम एवं नियमावली 2017 के मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन में थे।
- कर निर्धारिती द्वारा माल एवं सेवा कर अवधि में ले जाए गये संक्रमणकालीन क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे माल एवं सेवा कर अधिनियम/नियमों के तहत स्वीकार्य है।

3.3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं:

- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम और नियमावली, 2005;
- स्थानीय क्षेत्रों में बिक्री, उपयोग और उपभोग के लिए माल के प्रवेश पर बिहार कर अधिनियम, 1993;
- बिहार माल और सेवा कर अधिनियम और नियमावली, 2017; और
- केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड एवं राज्य वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएँ/परिपत्र/आदेश।

3.3.5 संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों के लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा ने उन मामलों में सत्यापित/मूल्यांकित संचिकाओं की जाँच की जहाँ संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों का सत्यापन उचित अधिकारियों द्वारा किया गया था। उन मामलों में, जहाँ उचित अधिकारियों द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था, लेखापरीक्षा ने माल एवं सेवा कर ट्रान-1 और ट्रान-2 फॉर्मों और माल एवं सेवा कर की अवधि से पूर्व से संबंधित पिछले छः महीनों के रिटर्नों की जाँच की। राज्य में करदाताओं द्वारा संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों का विवरण, नमूना के रूप में केन्द्रीय कर प्राधिकरण के तहत संक्रमणकालीन राज्य माल एवं सेवा कर दावों के चयनित मामले, विभाग द्वारा जाँचे गए मामले और लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	विवरण	मामलों/करदाताओं की सं०	राशि
1.	राज्य में राज्य माल एवं सेवा कर के तहत करदाताओं द्वारा किये गए कुल संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट दावा	758	110.55
2.	राज्य माल एवं सेवा कर के तहत करदाताओं द्वारा किये गए संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स दावों जो लेखापरीक्षा द्वारा चयनित एवं सत्यापित है।	85	79.50
3.	नमूना मामलों में से विभाग द्वारा जाँच की गई	73	74.66
4.	सत्यापित/मूल्यांकित मामलों में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई अनियमितताएँ	29	19.52
5.	असत्यापित/अमूल्यांकित मामलों में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई अनियमितताएँ	04	1.44

3.3.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 140 के साथ पठित बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 117 के अनुसार कोई निबंधित व्यक्ति, जो धारा 10 के तहत कंपोजिशन व्यवसायी के रूप में निबंधित व्यक्ति के अलावा हो, वह;

- (क) माल एवं सेवा कर के पूर्व की अवधि (2017-18 की पहली तिमाही) के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अप्रयुक्त राशि को माल एवं सेवा कर अवधि में अग्रेषित करने का हकदार था।
- (ख) पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि जो 2017-18 की पहली तिमाही से संबंधित विवरणी में अग्रेषित नहीं है को अग्रेषित करने का हकदार था।
- (ग) बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 140(3) से 140(6) के अंतर्गत, स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे गए अर्द्ध-निर्मित या निर्मित माल में समाहित इनपुट जिस पर माल एवं सेवा कर-पूर्व अवधि में क्रेडिट का लाभ नहीं लिया गया था और करदाता ऐसे इनपुट पर माल एवं सेवा कर के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के योग्य है, से संबंधित वैट और प्रवेश कर का क्रेडिट भी माल एवं सेवा कर अवधि में अग्रेषित करने हेतु हकदार थे।

उपरोक्त क्रेडिट का दावा करने के लिए, माल एवं सेवा कर ट्रान-1 और माल एवं सेवा कर ट्रान-2 में घोषणा पत्र को कॉमन पोर्टल पर दाखिल किया जाना आवश्यक था।

इसके अलावा, करदाता माल एवं सेवा कर के तहत संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा करने के हकदार थे यदि माल एवं सेवा कर के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में क्रेडिट स्वीकार्य था, व्यवसायी ने मौजूदा अधिनियमों के तहत 1 जुलाई 2017 से पहले के छः महीने की अवधि के लिए आवश्यक सभी रिटर्न दाखिल किए थे एवं उक्त क्रेडिट की राशि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित छूट संबंधी अधिसूचनाओं के तहत विनिर्मित एवं शोधित वस्तुओं से संबंधित नहीं था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य माल एवं सेवा कर के तहत संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा करते समय करदाताओं द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था जिसे आगे सत्यापित मामलों में और सत्यापन नहीं होने के कारण असत्यापित मामलों में उचित अधिकारियों द्वारा पता नहीं लगाया जा सका। 33 करदाताओं द्वारा ₹ 20.96 करोड़ के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित दावों की चर्चा कंडिका 3.3.6.1 से 3.3.6.6 में की गई है।

3.3.6.1 पता लगाई गई राशि का गैर-प्रत्यावर्तन

उचित अधिकारी ने वसूली के लिए देय ₹ 15.95 करोड़ की वसूली हेतु कोई कार्रवाई शुरू नहीं की।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन पारित आदेश के अनुसरण में बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 78 प्रावधित करती है कि कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय किसी रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर भुगतान किया जाएगा, जिसके विफल होने पर वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी बशर्ते कि जहाँ उचित अधिकारी राजस्व हित में ऐसा करना समयोचित समझता है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उक्त कराधेय व्यक्ति से उसके द्वारा ऐसी तीन मास से कम विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा। इसके अलावा बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 का धारा 79 के प्रावधानों के तहत कर की वसूली के विभिन्न तरीकों को निर्धारित किया गया है।

नमूना जाँच किए गए 85 करदाताओं में से छः अंचलो⁵ में 16 करदाताओं की सत्यापित/आकलित अभिलेखों (अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021) की लेखापरीक्षा नमूना जाँच से पता चला कि करदाताओं द्वारा उचित अधिकारी द्वारा मई 2019 से अगस्त 2019 के अवधि के दौरान उठाई गई ₹ 16.58 करोड़ की माँग में से केवल ₹ 0.63 करोड़ जमा/प्रत्यावर्तित किया गया। इस

⁵ मुजफ्फरपुर पूर्व, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्व, पटना विशेष और शाहाबाद।

प्रकार, माँग के 19 महीनों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी करदाताओं द्वारा 15.95 करोड़ जमा/प्रत्यावर्तित नहीं किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट-I** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बिहार राज्य माल एवं सेवा कर, अधिनियम, 2017 की धारा 79 के तहत उचित अधिकारियों द्वारा पता की गई राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा, उपरोक्त मामलों में से, पटना मध्य अंचल के दो मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि वसूली के लिए बैंको के साथ उचित अधिकारियों द्वारा पत्राचार किया गया था, गैर-अनुवर्ती के कारण, राशि जुलाई 2021 तक वसूली के लिए लंबित थी।

पता की गई राशि की वसूली के लिए प्रक्रिया प्रारंभ न करने/विलंब करने के परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई। इससे इंगित करने के बाद (अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021), छः अंचलों के उचित अधिकारियों ने जवाब दिया कि मामले की जाँच की जाएगी। पटना विशेष अंचल के राज्य कर संयुक्त आयुक्त ने जवाब दिया कि वसूली प्रक्रिया उस क्षेत्राधिकार प्राधिकारी द्वारा की जानी है जिसके तहत करदाता पंजीकृत है। राज्य कर संयुक्त आयुक्त का जवाब सही नहीं है क्योंकि उपरोक्त मामले राज्य माल एवं सेवा कर से संबंधित हैं।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2021); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

3.3.6.2 स्रोत पर की गई कर कटौती का संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में दावा किया जाना

दो अंचलों के दो करदाताओं ने ₹ 1.69 करोड़ की स्रोत पर की गई कर कटौती का गलत दावा माल एवं सेवा कर ट्रान-1 में संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में किया गया।

अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 के दौरान सत्यापन अभिलेखों के साथ-साथ माल एवं सेवा कर ट्रान-1 और वैट अवधि की अंतिम तिमाही/वार्षिक रिटर्न और भुगतान विवरण आदि के नमूना जाँच में पता चला कि, नमूना जाँच किए गए 85 करदाताओं में से (उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित एक सहित) कटिहार के एक करदाता और पाटलिपुत्र अंचल के एक करदाता ने माल एवं सेवा कर ट्रान-1 में ₹ 1.69 करोड़ के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था। ये दावे स्रोत पर की गई कर कटौती से संबंधित थे न कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में दावा किया गया था। इस प्रकार, इन करदाताओं ने ₹ 1.69 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा किया और इसलिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय ब्याज और अर्थदण्ड के अतिरिक्त ₹ 1.69 करोड़ के कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं, जैसा कि **परिशिष्ट-II** में वर्णित है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2021); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

3.3.6.3 अंतिम रिटर्न में अग्रेषित इनपुट टैक्स क्रेडिट से ज्यादा संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा ट्रान-1 में किया जाना

दो अंचलों के तीन करदाताओं ने वैट की अंतिम रिटर्न की तुलना में ₹ 35.31 लाख के अधिक संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा माल एवं सेवा कर ट्रान-1 में किया।

अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 के दौरान सत्यापन अभिलेखों के साथ-साथ माल एवं सेवा कर ट्रान-1 और वैट अवधि की अंतिम तिमाही/वार्षिक रिटर्न और भुगतान विवरण आदि की लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि जाँच किये गये 85 करदाताओं में से दो अंचलों⁶ के तीन करदाताओं ने ट्रान-1 में ₹ 35.31 लाख के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा

⁶ पाटलिपुत्र और पटना सिटी पश्चिम।

किया था, हालाँकि उन करदाताओं ने वैट अवधि की अंतिम रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई अग्रेषण नहीं दिखाया था जैसा कि बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के धारा 140(1) के अंतर्गत आवश्यक था। इस प्रकार इन करदाताओं ने ₹ 35.31 लाख के अधिक संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया और इस प्रकार वे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय ब्याज और अर्थदण्ड के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी थे, जैसा कि **परिशिष्ट-III** में वर्णित है।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2021); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

3.3.6.4 अंतिम भंडार पर संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा

दो अंचलों के तीन करदाताओं ने माल एवं सेवा कर ट्रान-1 में अंतिम भण्डार पर ₹ 1.58 करोड़ के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा किया।

अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 के दौरान सत्यापन अभिलेखों के साथ-साथ माल एवं सेवा कर ट्रान-1 और वैट अवधि की अंतिम तिमाही/वार्षिक रिटर्न और भुगतान विवरण आदि की लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि नमूना जाँच किये गए 85 करदाताओं में से दो अंचलों⁷ के तीन करदाताओं (सभी उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित) ने अंतिम भण्डारण पर माल एवं सेवा कर ट्रान-1 में ₹ 3.71 करोड़ के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था। इस प्रकार व्यवसायियों का इरादा वैट अवधि के इनपुट पर भुगतान किए गये वैट/प्रवेश कर की असमायोजित राशि, जो बीजक/कर भुगतान के साक्ष्य दस्तावेजों द्वारा समर्थित थे, को माल एवं सेवा कर अवधि में अग्रेषित करने के लिए बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 140(3), 140(4)(ख) और 140 (6) के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में राज्य माल एवं सेवा कर क्रेडिट के रूप में अग्रेषित किया गया।

हालाँकि, 2017-18 की पहली तिमाही के वैट/प्रवेश कर के तिमाही रिटर्न की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि रिटर्न में उल्लेखित तथ्यों और आँकड़ों⁸ के आलोक में व्यवसायियों के दावे गलत थे। इस प्रकार इन व्यवसायियों ने ₹ 1.58 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा किया था और इसलिए वे उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार देय ब्याज और अर्थदण्ड के अलावा ₹ 1.58 करोड़ के कर भुगतान के लिए उत्तरदायी थे, जैसा कि **परिशिष्ट-IV** में वर्णित है।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2021); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

3.3.6.5 अनियमित क्रेडिट का पता चलने पर ब्याज/अर्थदण्ड की नहीं/कम माँग

चार अंचलों के पाँच करदाताओं के मामलों में अनियमित संक्रमणकालीन क्रेडिट पर उचित अधिकारी ब्याज एवं अर्थदण्ड के रूप में ₹ 82.35 लाख का पता लगाने में विफल रहे।

बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 121 में प्रावधान है कि नियम 117 के उपनियम (3) के तहत जमा की गई राशि का सत्यापन किया जा सकता है और धारा 73 के तहत कार्यवाही या, जैसा भी मामला हो, धारा 74 किसी भी गलत तरीके से लिए गए क्रेडिट के संबंध में शुरू की जाएगी चाहे वह पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से हो।

इसके अलावा, बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 73(9) के अनुसार, उचित अधिकारी कर की राशि, ब्याज और कर के दस प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड या दस हजार

⁷ कटिहार और पाटलिपुत्र।

⁸ करदाता ने 2017-18 की पहली तिमाही की तिमाही रिटर्न में किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अग्रेषण का दावा नहीं किया था, और प्रवेश कर का कम भुगतान किया था, करदाता के पास संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में अग्रेषण के लिए कोई शेष प्रवेश कर नहीं था और करदाता ने शेष प्रवेश कर भुगतान की तुलना में अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट के अग्रेषण का दावा किया।

रूपये, जो भी अधिक हो, निर्धारित करेगा जो ऐसे व्यक्ति द्वारा देय होगा और एक आदेश जारी करेगा।

चार अंचलों⁹ में सत्यापन अभिलेखों की जाँच से पता चला कि नमूना जाँच किए गए 85 करदाताओं में से पाँच करदाताओं (सभी उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित) के मामले में, उचित अधिकारियों द्वारा ₹ 5.52 करोड़ के अनियमित संक्रमणकालीन क्रेडिट का पता लगाया गया। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि उचित अधिकारियों ने इन करदाताओं से आरोप्य ब्याज/अर्थदण्ड की माँग नहीं की थी। अतः इन करदाताओं से ₹ 82.35 लाख की राशि का ब्याज और अर्थदण्ड वसूली योग्य था, जैसा कि **परिशिष्ट-V** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021), चार अंचलों के उचित अधिकारियों ने जवाब दिया कि मामलों की जाँच की जाएगी और बेगूसराय अंचल के एक मामले में राज्य कर संयुक्त आयुक्त ने जवाब दिया कि वित्त अधिनियम, 2021 के अनुसार, ब्याज तभी वसूली योग्य होता है जब भुगतान नगद खाता बही को डेबिट करके किया जाता हो। राज्य कर संयुक्त आयुक्त का जवाब तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि वित्त अधिनियम 2021 ने केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) के संबंध में ऐसा प्रावधान निर्धारित किया है जो कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज लगाने से संबंधित है। इसने केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 50 की उपधारा (3) के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत लाभ पर ब्याज लगाने से संबंधित है।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2021); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

3.3.6 अन्य कारणों से संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा

तीन अंचलों के चार करदाताओं ने माल एवं सेवा कर ट्रान-1 में ₹ 57.31 लाख के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा किया।

अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 के दौरान सत्यापन अभिलेखों के साथ-साथ माल एवं सेवा कर ट्रान-1 और वैट अवधि की अंतिम तिमाही/वार्षिक रिटर्न और भुगतान विवरण आदि की लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि नमूना जाँच किये गए 85 करदाताओं में से तीन अंचलों¹⁰ के चार करदाताओं (सभी उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित) ने माल एवं सेवा कर ट्रान-1 में ₹ 57.31 लाख के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था लेकिन ये दावे विभिन्न कारणों¹¹ से गलत थे।

इस प्रकार, इन व्यवसायियों ने ₹ 57.31 लाख के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा किया और इसलिए वे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय ब्याज और अर्थदण्ड के अलावा ₹ 57.31 लाख के कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे, जैसा कि **परिशिष्ट-VI** में वर्णित है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2021); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

3.3.7 निष्कर्ष

केन्द्रीय कर प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले और लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गये 85 करदाताओं द्वारा राज्य माल एवं सेवा कर संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों के ₹ 79.50 करोड़ में से 33 मामलों में ₹ 20.96 करोड़ (26.36 प्रतिशत) गलत संक्रमणकालीन दावों के रूप में पाये गये। इसमें 17 मामलों में ₹ 5.01 करोड़ के गलत संक्रमणकालीन दावों और

⁹ बेगूसराय, भागलपुर, पटना विशेष और पूर्णिया।

¹⁰ कदमकुआँ, पटना उत्तर और शाहाबाद।

¹¹ करदाता संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र नहीं थे क्योंकि वैट के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा आवर्त का छिपाव, शुरुआती भंडार का छिपाव और 2016-17 से इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत अग्रेषण के कारण गलत था, जिसके परिणामस्वरूप गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट को 2016-17 से अग्रेषित किया गया।

उचित अधिकारियों द्वारा सत्यापित 16 मामलों में ₹ 15.95 करोड़ की पता लगाई गई राशि को वापस न करना शामिल था। गलत तरीके से दावे किए गए संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का इतना अधिक प्रतिशत स्वयं प्रक्रिया में निहित जोखिम को इंगित करता है। सत्यापित/मूल्यांकित मामलों में ₹ 16.59 करोड़ की माँग में से ₹ 15.95 करोड़ (96.14 प्रतिशत) अप्राप्त था। यह इंगित करता है कि सत्यापित/मूल्यांकित मामलों की अनुवर्ती प्रणाली बहुत खराब है।

3.3.8 अनुशंसा

- विभाग को शेष निर्धारती के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों का सत्यापन करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों का ठीक से पालन किया गया था।
- संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत दावे के कारण बकाया की वसूली के लिए तत्काल कदम उठाया जाना चाहिए।

3.4 लीगेसी मामले

3.4.1 बंद व्यवसाय के अंतिम भंडारण पर कर एवं शास्ति का आरोपण नहीं करना

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवसाय बंद होने पर अंतिम भंडार पर ₹ 94.63 लाख का कर आरोपित नहीं किया।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 3(5) में उपबंधित किया गया है कि एक पंजीकृत व्यवसायी को अपने व्यवसाय को बंद करने या बंद करने के बाद उसके पास शेष माल के भंडार पर कर का भुगतान करना आवश्यक है।

सितम्बर 2021 में भागलपुर वाणिज्य-कर अंचल में निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जाँच से पता चला है कि एक व्यवसायी ने 18.06.2016 को अपने भंडार विवरणी में ₹ 3.51 करोड़ के माल के अंतिम भंडार का खुलासा किया था। व्यवसायी ने अप्रैल 2016 से न तो कोई रिटर्न दाखिल किया और न ही बाद के वर्षों के लिए कोई कर का भुगतान किया था। चूँकि उसने अपना व्यवसाय बन्द कर दिया था इसलिए वह बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24(10) के प्रावधान के अनुसार उसके द्वारा रखे गए माल के भंडार पर 1.5 प्रतिशत की दर से उदग्रहणीय ब्याज के साथ कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कारोबार बंद होने पर अंतिम भंडार पर कर का आरोपण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 41.91 लाख के ब्याज सहित ₹ 94.63 लाख¹² के कर का आरोपण नहीं हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2022); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

3.4.2 आवर्त का छिपाव किया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारी ₹ 3.51 करोड़ के आवर्त के छिपाव का पता लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 1.18 करोड़ के कर का अवनियमन हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के धारा 31(2), के अंतर्गत कर-निर्धारण प्राधिकारी को छिपाव, त्रुटि या सही बिक्री/खरीद के प्रकटीकरण में विफलता के मामलों में छूटे हुए आवर्त पर देय कर एवं ब्याज के अलावा देय कर का तीन गुणा अर्थदण्ड आरोपित करने का शक्ति प्रदत्त है। पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) की उपधारा (क) से

¹² गणना:-

कर ₹ 3,51,44,991 पर 15 प्रतिशत की दर से	=	₹ 52,71,748
ब्याज 53 माह हेतु 1.5 प्रतिशत की दर से	=	₹ 41,91,039
कुल	=	₹ 94,62,787

(छ) के तहत कर-निर्धारण प्राधिकारी विहित छ: जाँच सूची के अनुसार प्रत्येक तिमाही एवं वार्षिक रिटर्न की संवीक्षा करेगा।

जुलाई 2021 में दो वाणिज्य-कर अंचलों¹³ में निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जाँच से पता चला कि तीन व्यवसायियों ने 2016-17 की अवधि के दौरान अपने वार्षिक रिटर्न में केवल ₹ 68.02 करोड़ की अपनी खरीद/बिक्री का खुलासा किया था। हालाँकि, बिक्री, खरीद/ट्रेडिंग लेजर/सुविधा विवरणी के आंकड़ों के अनुसार, उनकी खरीद/बिक्री का कारोबार ₹ 71.53 करोड़ होना चाहिए। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि व्यापारियों ने अपने आवर्त को ₹ 3.51 करोड़ तक छिपाव किया जो निर्धारण के दौरान भी निर्धारण पदाधिकारियों द्वारा पता नहीं लगाया जा सका जिसके परिणामस्वरूप ₹ 74.11 लाख के आरोप्य अर्थदण्ड एवं ₹ 18.69 लाख के ब्याज सहित ₹ 1.18 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-VII में वर्णित है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2022); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

3.4.3 प्रवेश कर की गैर-स्वीकृति

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारण करते समय प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य ब्याज सहित ₹ 45.21 लाख के प्रवेश कर की कम वसूली हुई।

स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर बिहार कर अधिनियम की धारा 3, यह प्रावधित करती है कि स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए अनुसूचित वस्तुओं के प्रवेश पर एक कर लगाया और एकत्र किया जाएगा। इसके अलावा बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के अनुसार प्रत्येक व्यवसायी द्वारा कर का भुगतान आगामी माह के पन्द्रहवें दिन या उसके पहले करेगा, जिसमें विफल रहने पर, उसे 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

सितंबर 2021 में भागलपुर वाणिज्य-कर अंचल के निर्धारण अभिलेखों के लेखापरीक्षा नमूना जाँच से पता चला कि एक व्यवसायी ने 2016-17 के दौरान अपनी वार्षिक विवरणी में ₹ 3.15 करोड़ के हाइड्रोलिक एक्सकैवेटर के आयात पर ₹ 25.19 लाख (8 प्रतिशत की दर से) की अपनी प्रवेश कर की देयता स्वीकार नहीं की। कर-निर्धारण प्राधिकारी, कर निर्धारण करते समय प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य ब्याज सहित ₹ 45.21 लाख के प्रवेश कर की कम वसूली हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2022); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

3.4.4 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित/अधिक दावा

कर-निर्धारण प्राधिकारी ₹ 1.39 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित/अधिक दावों का पता लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 6.68 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 16 के अनुसार जब एक निबंधित व्यवसायी बिहार राज्य के अंदर किसी अन्य निबंधित व्यवसायी से अधिनियम की धारा 14 अथवा धारा 4 के तहत कर का भुगतान करने के पश्चात कोई इनपुट का क्रय करता है, तब वह विहित तरीके से इनपुट टैक्स के क्रेडिट का दावा करने के योग्य है, यदि माल की बिक्री राज्य के अंदर अथवा अन्तर्राज्यीय बिक्री एवं वाणिज्य के क्रम में राज्य के अंदर अथवा राज्य के बाहर बिक्री

¹³ पटना सिटी पूर्व और पटना उत्तर।

के लिए वस्तुओं (अनुसूची-IV के वस्तुओं के अलावा) के विनिर्माण में खपत की गयी हो। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 31(2), निर्धारण प्राधिकारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत दावे के लिए देय कर के तीन गुणा के बराबर अर्थदण्ड के अलावा 1.5 प्रतिशत प्रति माह ब्याज के आरोपण का अधिकार प्रदान करती है।

पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) का उपबंध (छ), कर-निर्धारण पदाधिकारी को, रिटर्न में दावा किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं अन्य कटौतियों से संबंधित दावों के समर्थन में भी सूचनाएँ एवं साक्ष्य, विहित तरीके से प्रस्तुत किये गये हैं, को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धारा 24 की उप धारा (1) एवं (3) के अंतर्गत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है।

जुलाई और अगस्त 2021 के मध्य दो वाणिज्य-कर अंचलों¹⁴ में निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जाँच से पता चला कि तीन व्यवसायियों ने 2015-16 एवं 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 2.63 करोड़ की उनकी स्वीकार्य पात्रता के विरुद्ध ₹ 43.18 करोड़ के माल की खरीद पर ₹ 4.02 करोड़ इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि व्यवसायियों ने ₹ 1.39 करोड़ के अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जिसको निर्धारण के दौरान भी कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पता नहीं लगाया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.16 करोड़ के आरोप्य अर्थदण्ड एवं ₹ 1.13 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 6.68 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट-VIII** में वर्णित है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2022); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

3.4.5 कर के गलत दर लगाये जाने के कारण कर का कम आरोपण

कर-निर्धारण प्राधिकारी कर के गलत दर लगाये जाने का पता लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.12 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधान के तहत निर्धारित प्राधिकारी, निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित तरीके से पता लगाने के उद्देश्य से धारा 24 की उप-धारा (1) एवं (3) के अंतर्गत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा करेंगे कि कर के दरों को सही तरीके से लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39 (4) के प्रावधान के तहत, देय कर की राशि पर प्रति माह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देय है।

अगस्त और सितंबर 2021 के मध्य तीन वाणिज्य-कर अंचलों¹⁵ में निर्धारित अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जाँच से पता चला कि सात व्यवसायियों ने 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 13.57 करोड़ की बालू एवं गिट्टी और बिजली की सामग्री पर अपनी कर की देनदारी का निर्धारण छः से 15 प्रतिशत के सही दर पर निर्धारण करने के बजाय पाँच से छः प्रतिशत की निम्न दर पर किया। कर-निर्धारण प्राधिकारी निर्धारण के दौरान कर की गलत दर लगाये जाने का पता लगाने में विफल रहे। इस प्रकार कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा करों की गलत दरों का पता लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 92.43 लाख के ब्याज सहित ₹ 2.12 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट-IX** में वर्णित है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2022); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

¹⁴ पटना सिटी पूर्व और पटना उत्तर।

¹⁵ भागलपुर, दानापुर और पटना मध्य।

अध्याय 4
राजस्व एवं भूमि सुधार

अध्याय-4: राजस्व एवं भूमि सुधार

4.1 कर प्रशासन

बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भूमि का अधिग्रहण एवं हस्तान्तरण तथा भू-राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण करता है। भूमि अधिग्रहण के लिए समाहर्ता उत्तरदायी होते हैं जिनको जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहयोग करते हैं।

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त प्रशासनिक प्रधान होता है और उसे मुख्यालय स्तर पर तीन निदेशक एवं विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव सहयोग करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता, अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, उप समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी कार्य करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अंचलाधिकारी, भू-अभिलेखों के रख-रखाव एवं भू-राजस्व के संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की 961 इकाइयों में से दो इकाइयों की नमूना जाँच की। लेखा संवीक्षा में 19 मामलों में सैरात का गैर-बंदोबस्त तथा अन्य अनियमितताएँ पायी गयी जिनमें ₹ 37.78 करोड़ की राशि सन्निहित थी जैसा कि नीचे दी गयी तालिका 4.1 में वर्णित है।

तालिका 4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र० सं०	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	सैरात का बंदोबस्त नहीं होना	1	0.80
2.	अन्य मामले	18	3,777.30
	कुल	19	3,778.10

विभाग ने 2020-21 के दौरान न तो किसी मामले को स्वीकार किया और न ही किसी मामले में वसूली हुई। वर्ष 2020-21 के सभी मामले एवं पूर्व के वर्षों के मामलों में जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2022)।

इस अध्याय में ₹ 11.46 करोड़ मूल्य के अनियमितताओं से जुड़ी तीन कंडिकाओं को दर्शाया गया है।

4.3 अधिनिर्णय की गलत गणना किया जाना

भूमि अधिग्रहण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार सार्वजनिक उद्देश्य जैसे कि उद्योग का विकास, ढाँचागत सुविधाएँ और शहरीकरण के लिये भूमि अर्जित करती है एवं प्रभावित भू-स्वामियों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के साथ मुआवजे प्रदान करती है। भू-अर्जन की प्रक्रिया, "भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" और उसमें समय-समय पर संघ द्वारा किया गया संशोधन एवं बिहार भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजे एवं पारदर्शिता अधिकार नियमावली 2014 से शासित होती है।

¹ अंचल कार्यालय, पटना सदर तथा राजस्व एवं भूमि सुधार प्रधान सचिव का कार्यालय।

4.3.1 तोषण की कम गणना किया जाना

त्रुटिपूर्ण गणना का तरीका अपनाने के फलस्वरूप ₹ 2.22 करोड़ के तोषण का कम आरोपण हुआ जिसके कारण 17 भू-स्वामियों को कम भुगतान किया गया।

भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजे एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 30(1) के अनुसार, समाहर्ता भुगतान किये जाने वाले मुआवजे का अवधारण करने पर, अंतिम अधिनिर्णय पर पहुँचने के लिए तोषण² की रकम जो कि मुआवजे की राशि का शत-प्रतिशत तोषण की राशि अधिरोपित करेगा। अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के बिन्दु 5 के अनुसार, भू-स्वामियों को भूमि के बाजार मूल्य का सौ प्रतिशत एवं भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों के मूल्य को जोड़कर समतुल्य तोषण भुगतेय है।

जिला भू-अर्जन कार्यालय, मोतिहारी में संधारित महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय बंकट मौजा, मोतिहारी से संबंधित भूमि अधिग्रहण परियोजना संचिका के अभिलेखों की नमूना जाँच लेखापरीक्षा (सितम्बर 2021) में पाया गया कि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने तोषण की गणना के दौरान भूमि से जुड़ी परिसंपत्तियों के मूल्य पर विचार नहीं किया। इस प्रकार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 2.22 करोड़ के तोषण का कम आरोपण हुआ जिसके फलस्वरूप 17 भू-स्वामियों को कम भुगतान हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-X में वर्णित है।

संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2021) और कहा कि संशोधित अनुमान प्रस्ताव विभाग को भेजा जाएगा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022), जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

4.3.2 अतिरिक्त मुआवजे का कम भुगतान किया जाना

गलत गणना किए जाने के कारण भू-स्वामियों को ₹ 8.60 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे का कम भुगतान किया गया।

भू-अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 23(1) के साथ पठित भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उचित मुआवजे और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 30(3) प्रावधित करती है कि अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान भूमि के बाजार मूल्य के 12 प्रतिशत की दर से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन की अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से समाहर्ता के अधिनिर्णय घोषित करने की तिथि या भूमि पर कब्जे की तिथि जो भी पहले हो तक की जाएगी।

अगस्त एवं सितम्बर 2021 के मध्य दो जिलों³ के पाँच मौजों⁴ में चार परियोजनाओं⁵ के अभिलेखों के नमूना जाँच से यह पता चला कि प्राधिकारियों ने अतिरिक्त मुआवजे की गणना करते समय भूमि के कब्जे की सही तारीख/अधिनिर्णय की तारीख पर विचार नहीं किया। इस गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 8.60 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे की कम गणना हुई, जैसा कि परिशिष्ट-XI में वर्णित है।

² यह मुआवजे का एक अवयव है जो भू-स्वामियों को भुगतेय है।

³ अररिया और मोतिहारी।

⁴ फुरसतपुर, जसौली, जोगबनी, दक्षिण माहेश्वरी और तेजपुर देउर।

⁵ हाजीपुर-सुगौली नई रेल लाइन, इण्डो-नेपाल सीमा सड़क परियोजना, केसरिया बौद्ध स्तूप और महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय।

निदेशक, भूमि अधिग्रहण, बिहार, पटना, भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (सितंबर 2021) और कहा कि संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के साथ पत्राचार किया जा रहा है। इसके अलावा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मोतिहारी ने शेष तीन परियोजनाओं के मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (सितम्बर 2021) और कहा कि इसे अंकगणितीय त्रुटि मानकर सुधार किया जा रहा है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

4.3.3 लगान के पूँजीकृत मूल्य पर उपकर का आरोपण नहीं किया जाना

अधिग्रहण के अधीन भूमि का 25 वर्षों के वार्षिक लगान के पूँजीकृत मूल्य पर प्रतिशतता के रूप में ₹ 63.15 लाख के उपकर का आरोपण नहीं किया गया।

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 22 एवं 23 के साथ पठित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्गत अनुदेश (जून 2000) के प्रावधान के अनुसार 25 वर्षों के लिये भूमि के वार्षिक किराये के पूँजीकृत मूल्य का 50 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत क्रमशः शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य उपकर, कृषि विकास उपकर तथा सड़क उपकर के रूप में वसूल किया जाए।

जिला भू-अर्जन कार्यालय, मोतिहारी में संधारित दो भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं⁶ के चार मौजों⁷ के स्वीकृत अनुमानों की जाँच (सितम्बर 2021) से पता चला है कि संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुमानों को अंतिम रूप देते समय अधिग्रहण के तहत भूमि के 25 वर्षों के वार्षिक किराये के पूँजीकृत मूल्य पर 145 प्रतिशत उपकर का निर्धारण नहीं किया गया था। इस प्रकार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 43.55 लाख के पूँजीकृत किराये के मूल्य पर उपकर के रूप में ₹ 63.15 लाख की राशि आरोपित नहीं की गई थी, जैसा कि परिशिष्ट-XII में वर्णित हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने के बाद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मोतिहारी ने कहा (सितम्बर 2021) कि इसे भविष्य के मार्गदर्शन के लिए नामित किया गया है। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने किराये के पूँजीकृत मूल्य पर उपकर के आरोपण पर कोई विशिष्ट जवाब नहीं दिया।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

⁶ महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी एवं गंडक नदी के चकिया केसरिया सत्तरघाट पर 27 कि०मी० उच्च कोटि के आरसीसी पुल का निर्माण।

⁷ बंकट, फुरसतपुर, धेखा चादर नं० 3 एवं 4 और सुन्दरपुर चादर नं० 7 एवं 8।

अध्याय 5
मुद्रांक एवं निबंधन फीस

अध्याय-5: मुद्रांक एवं निबंधन फीस

5.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, निबंधन अधिनियम, 1908, बिहार मुद्रांक नियमावली, 1991 तथा बिहार मुद्रांक (दस्तावेजों के अवमूल्यन का निवारण) नियमावली, 1995 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) के प्रमुख निबंधन महानिरीक्षक होते हैं। विभाग, निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। मुख्यालय स्तर पर निबंधन महानिरीक्षक की सहायता के लिए एक अपर सचिव, दो उप-महानिरीक्षक और चार सहायक महानिरीक्षक होते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रमंडलीय स्तर पर नौ सहायक महानिरीक्षक होते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर, 38 जिला अवर निबंधक, 88 अवर निबंधक और 26 संयुक्त अवर निबंधक, जिला/प्राथमिक इकाई स्तर पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा ने निबंधन महानिरीक्षक, पटना के अभिलेखों की नमूना जाँच की। निबंधन विभाग की कुल 161 इकाइयों में से प्रमंडलीय स्तर पर सहायक महानिरीक्षक की चार इकाइयों¹ तथा जिला अवर निबंधक की छः इकाइयों² की लेखापरीक्षा जुलाई 2020 तथा फरवरी 2021 के दौरान की गई। लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान 79 मामलों में सन्निहित ₹ 88.19 करोड़ राजस्व की कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं को पाया। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान विभाग ने 127 मामलों में सन्निहित ₹ 14.52 करोड़ की कम वसूली एवं अन्य अनियमितताएँ इत्यादि को स्वीकार किया, जो कि पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 12 मामलों में ₹ 1.08 करोड़ की वसूली से अवगत कराया। 2020-21 के दौरान के मामले और पहले के वर्षों के शेष मामलों के जवाब अप्राप्त थे (मार्च 2022)।

5.3 भूमि के अवमूल्यन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली

पाँच निबंधन प्राधिकारी, जून 2016 से अगस्त 2021 के दौरान निष्पादित नौ दस्तावेजों में भूमि के अवमूल्यन का पता लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.08 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली हुई।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 एक राजकोषीय कानून है। इसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है। यह जनता के सदस्यों द्वारा निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों पर शुल्क लगाकर इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस तरह के शुल्क से प्राप्त राजस्व राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 (क) के प्रावधान के तहत जहाँ निबंधन प्राधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि दस्तावेज में संपत्ति का बाजार मूल्य के अनुसार सही निर्धारण नहीं किया गया है, वह ऐसी संपत्ति को बाजार मूल्य के अनुसार निर्धारण के लिए समाहर्ता को संदर्भित कर सकता है।

भूमि को वाणिज्यिक, आवासीय, सिंचित/दो फसला आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक जिले में भूमि की दर उपरोक्त श्रेणियों के आधार पर वार्ड/अंचल के अनुसार निर्धारित

¹ दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना और सारण।

² दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर और सारण।

की जाती है। इस प्रयोजन के लिए गठित जिला मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर प्रत्येक जिले में प्रत्येक वर्ष भूमि का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाएगा। समिति राज्य स्तर पर गठित केन्द्रीय मूल्यांकन समिति के समग्र मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत कार्य करेगी।

- जिला अवर निबंधक, मोतिहारी के अंतर्गत अगस्त 2019 में निष्पादित विभाजन विलेख (टोकन संख्या 10658/2019) की जाँच (सितंबर 2021) के दौरान यह पाया गया कि भूमि को आवासीय के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस विभाजन विलेख द्वारा सात बहनों को 1,365 डिसमील भूमि का स्वामित्व दिया गया। यह पाया गया कि इन सात बहनों ने मार्च 2020 में एक दस्तावेज (टोकन संख्या-2896/2020) को निष्पादित करके 1,365 डिसमील में से 588.38 डिसमील भूमि को आवासीय के बजाय सिंचित/दो फसला के रूप में वर्गीकृत कर बेच दिया। हालाँकि, इस भूखंड को आवासीय श्रेणी के रूप में माना जाना चाहिए था और तदनुसार मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस³ का ₹ 23.54 करोड़ (588.38 डिसमील x ₹ 4,00,000 प्रति डिसमील) के मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए था, जो ₹ 5.30 करोड़ के प्रतिफल मूल्य के बजाय आवासीय श्रेणी के लिए लागू न्यूनतम मूल्य पंजी के बाजार मूल्य के आधार पर निकाला गया था। इस प्रकार संपत्ति का ₹ 18.24 करोड़ अवमूल्यन हुआ और इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़⁴ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2022); विभाग ने जवाब दिया कि मामला वसूली हेतु सहायक महानिरीक्षक तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संदर्भित किया गया है।

- जून 2016 से अगस्त 2021 के दौरान निष्पादित चार जिला अवर निबंधक⁵ और एक अवर निबंधक⁶ के कार्यालयों के अंतर्गत बिक्री विलेखों की जाँच (जुलाई से सितंबर 2021) के दौरान यह पाया गया कि आठ भूखंडों को न्यूनतम मूल्य पंजी के अनुसार निम्न श्रेणी मूल्य पर वर्गीकृत किया गया था, हालाँकि उसका स्थान निर्धारण न्यूनतम मूल्य पंजी के उच्च श्रेणी मूल्य से संबंधित था। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि एक ही विक्रेता को एक ही भूखंड को अलग-अलग विलेखों में विभिन्न श्रेणियों में दिखाया गया था। इसलिए, इन भूखंडों को उच्च श्रेणी के रूप में माना जाना चाहिए था, तदनुसार, उच्च श्रेणी के लिए लागू न्यूनतम मूल्य पंजी के बाजार मूल्य के आधार पर ₹ 2.73 करोड़ के प्रतिफल मूल्य के बजाय मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस को ₹ 10.64 करोड़ के मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए था। जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति का ₹ 7.91 करोड़ का अवमूल्यन हुआ और ₹ 62.54 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ (i f j f' k V & x i i i)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2022)। सरकार ने जवाब दिया कि पटना सिटी के मामले में वसूली की गई है और बांका, गोपालगंज और मोतिहारी के अंतर्गत मामलों को वसूली के लिए जिलाधिकारी को संदर्भित किया गया है। विभाग ने बक्सर के मामले में लेखापरीक्षा अवलोकन का खंडन करते हुए कहा कि मुद्रांक शुल्क पाँच डिसमील से कम भूमि के वर्ग पर लगाया था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि का पंजीकृत भाग 31 डिसमील था, जैसा कि विलेख में वर्णित है।

³ मुद्रांक शुल्क की दर छह प्रतिशत तथा निबंधन फीस सभी श्रेणी की भूमि के मूल्य का दो प्रतिशत है।

⁴

न्यूनतम मूल्य पंजी के अनुसार मूल्य	मुद्रांक शुल्क			निबंधन फीस			कुल कम वसूली (क+ख)
	आरोप्य	जमा	कम वसूली (क)	आरोप्य	जमा	कम वसूली (ख)	
235352000	14121120	3177300	10943820	4707040	1059100	3647940	14591760

⁵ बांका में एक प्लॉट, बक्सर में एक प्लॉट, गोपालगंज में चार प्लॉट और मोतिहारी में एक प्लॉट।

⁶ पटना सिटी में एक प्लॉट।

5.4 खनन पट्टे पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली

पत्थर के खनन पट्टे के गलत वर्गीकरण का पता लगाने में निबंधन अधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 6.95 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली हुई।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 एक राजकोषीय कानून है। इसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है। यह जनता के सदस्यों द्वारा निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों पर शुल्क लगाकर इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस तरह के शुल्क से प्राप्त राजस्व राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1 के अनुच्छेद 35 (बी) में प्रावधान है कि जहाँ पट्टा, जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम धन के लिए दिया जाता है और जहाँ कोई किराया आरक्षित नहीं है वहाँ प्रीमियम मूल्य पर छह प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क तथा दो प्रतिशत की दर से निबंधन फीस संप्रेषण के रूप में मानते हुए देय होगा।

लेखापरीक्षा ने जिला अवर निबंधक, शेखपुरा के कार्यालय में पट्टा विलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया (दिसंबर 2021) कि जिला समाहर्ता, शेखपुरा द्वारा निष्पादित (अप्रैल 2016 एवं जून 2017 के मध्य) पत्थर खदान के पाँच पट्टा विलेख पाँच वर्ष की अवधि के लिए राशि ₹ 91.45 करोड़ में निबंधित किए गए थे। उपरोक्त अनुसूची के अनुसार इन प्रकरणों में मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस क्रमशः ₹ 5.49 करोड़ एवं ₹ 1.83 करोड़ आरोपणीय थे। तथापि, जिला अवर निबंधक इन मामलों में शुल्क का निर्धारण करने में विफल रहे तथा ₹ 27.46 लाख एवं ₹ 9.17 लाख क्रमशः मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण किया। इन अवनिर्धारणों के परिणामस्वरूप ₹ 6.95 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली हुई (परिशिष्ट-XIV)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022)। सरकार ने जवाब (मार्च 2022) में कहा कि कम भुगतान किए गए शुल्क की वसूली हेतु जिला अवर निबंधक, शेखपुरा द्वारा माँग पत्र जारी किए गए हैं।

पटना
दिनांक 19 जुलाई 2022

(रामावतार शर्मा)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 22 जुलाई 2022

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(संदर्भ कडिका: 3.3.6.1)

पता लगाई गई राशि का गैर-प्रत्यावर्तन

क्र० सं०	अंचल का नाम	जीएसटीआईएन	लीगेसी संख्या (बैट)	ट्रान-1 राशि	डीआरसी-7 के अनुसार माँग की राशि	माँग नोटिस का महीना	वसूली/प्रत्यावर्तित की गई राशि	वसूली के लिए लंबित राशि	अभ्युक्ति	क्या विभाग द्वारा सत्यापित किया गया
1.	मुजफ्फरपुर पूर्व	10BMJPK6928F2Z5	10315879022	316549.22	474825.00	मई-19	316550.00	158275.00	कर जमा लेकिन ब्याज और अर्थदण्ड नहीं जमा	हाँ
2.	मुजफ्फरपुर पूर्व	10ANXPA2613B2ZQ	10312677027	102244.00	147226.00	मई-19	102240.00	44986.00	यथा	हाँ
3.	पाटलिपुत्र	10AAMCA0671Q2ZI	10051447043	1843683.00	2581152.00	अगस्त-19	0.00	2581152.00		हाँ
4.	पटना केन्द्रीय	10ABUFS8117MIZ0	10155124027	520000.00	7259200.00	अगस्त-19	0.00	7259200.00		हाँ
5.	पटना केन्द्रीय	10AALCA2103LIZ7	10155425034	5340791.00	7439721.00	अगस्त-19	0.00	7439721.00		हाँ
6.	पटना केन्द्रीय	10AACK0129MIZ0	10150024032	1698240.00	2467543.00	अगस्त-19	0.00	2467543.00		हाँ
7.	पटना केन्द्रीय	10AADFP4697FIZC	10150060019	1582526.00	2285959.00	अगस्त-19	0.00	2285959.00		हाँ
8.	पटना केन्द्रीय	10AABCF5818MIZG	10157261057	1023993.00	1427447.00	अगस्त-19	1023993.00	403454.00		हाँ
9.	पटना सिटी पूर्व	10ANPPS2957QIZ7	10061670073	112286.00	157201.00	नवम्बर-19	0.00	157201.00	-	हाँ
10.	पटना विशेष	10AAACT2803MIZQ	10010008024	31132307.00	6491556.00	जनवरी-19	4871712.00	1619844.00		हाँ
11.	पटना विशेष	10AAACS6994CIZK	10011191019	64840884.00	89804624.00	जून-19	0.00	89804624.00		हाँ
12.	पटना विशेष	10AAAACP0305QIZT	10010945002	21673026.39	30017141.00	जून-19	000	30017141.00		हाँ
13.	पटना विशेष	10AABCB1562AIZQ	10010083005	8146412.00	14852.00	जून-19	0.00	14852.00		हाँ
14.	पटना विशेष	10AAAACI5139BIZD	10010565095	6148375.00	8331049.00	जून-19	0.00	8331049.00		हाँ
15.	पटना विशेष	10AABCF6616PIZM	10011065086	3586177.00	5015648.00	जून-19	0.00	5015648.00		हाँ
16.	शाहाबाद	10AXVPK9677KIZM	10163809028	1500000.00	1905000.00	अगस्त-19	0.00	1905000.00		हाँ
				154247493.61	165820144.00		6314495.00	159505649.00		
				कुल						

(राशि ₹ में)

परिशिष्ट-II

(संदर्भ कडिका: 3.3.6.2)

स्रोत पर की गई कर कटौती का संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में दावा किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	अंचल का नाम	जीएसटीआईएन	लीगेसी संख्या (बैट)	ट्रान-1 राशि	आपति राशि	क्या विभाग द्वारा सत्यापित किया गया है
1.	कटिहार	10AACCT0473H1ZT	10452505049	6026473.96	6026473.96	हाँ
2.	पाटलिपुत्र	10AAAACE6839Q1ZD	10051239072	10865998.84	10865998.84	नहीं
कुल				16892472.80	16892472.80	

परिशिष्ट-III

(संदर्भ कडिका: 3.3.6.3)

अंतिम रिटर्न में अग्रेषित इनपुट टैक्स क्रेडिट से ज्यादा संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा ट्रान-1 में किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	अंचल का नाम	जीएसटीआईएन	लीगसी संख्या (वैट)	ट्रान-1 राशि	वैट के तहत दाखिल अंतिम रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट को अग्रेषित किया गया	संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक दावा	क्या विभाग द्वारा सत्यापित किया गया
1.	पाटलिपुत्र	10AABC12106H1ZF	10050889021	2680367.00	0.00	2680367.00	नहीं
2.	पाटलिपुत्र	10AADCH0303D1ZR	10051251061	138778.00	0.00	138778.00	नहीं
3.	पटना सिटी पश्चिम	10AAACU2842D1Z1	10080523047	712213.00	000	712213.00	नहीं
कुल				3531358.00	0.00	3531358.00	

परिशिष्ट-IV
(संदर्भ कंडिका: 3.3.6.4)

अंतिम भंडार पर संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	अंचल का नाम	जीएसटीआईएन	लीगसी संख्या (बैट)	ट्रान-1 राशि	आपति राशि	अभ्युक्ति	क्या विभाग द्वारा सत्यापित किया गया
1.	कटिहार	10AAJFA4349K1ZL	10450937044	7184701.00	4676336.00	करदाता ने शेष प्रवेश कर भुगतान की तुलना में अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट के अग्रेषण का दावा किया था।	हाँ
2.	पाटलिपुत्र	10AABCT1296R1Z2	10050498055	21149748.00	2267605.00	करदाता ने 2017-18 की पहली तिमाही की तिमाही रिटर्न में अग्रेषित किये गये किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया था और कम प्रवेश कर भुगतान था।	हाँ
3.	पाटलिपुत्र	10AAAACM3025E2ZD	10050023046	8807755.00	8807755.00	करदाता के पास संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में अग्रेषण हेतु कोई शेष प्रवेश कर नहीं था।	हाँ
कुल				37142204.00	15751696.00		

परिशिष्ट-V
(संदर्भ कंडिका: 3.3.6.5)
अनियमित क्रेडिट का पता चलने पर ब्याज/अर्थदण्ड की नहीं/कम माँग

क्र0 सं0	अंचल का नाम	जीएसटीआईएन	लीगेसी संख्या (बैट)	ड्रान-1 राशि	अनियमित क्रेडिट की राशि का पता चला	ब्याज/ अर्थदण्ड की राशि की माँग न करना	अभ्युक्ति	क्या विभाग द्वारा सत्यापित किया गया
1.	बेगूसराय	10AEFFPG9747R2ZZ	10367220078	2068347.48	2068347.48	538805.00	निर्धारण आदेश में ब्याज लगाया गया लेकिन डीआरसी-07 में शामिल नहीं था।	हाँ
2.	भागलपुर	10AARFS8853J1ZO	10520203095	2518913.92	2518913.92	251891.39	अर्थदण्ड राशि डीआरसी-01 में शामिल थी लेकिन डीआरसी-07 में शामिल नहीं थी।	हाँ
3.	पटना विशेष	10AADCR0941H3ZV	10011409094	7299817.00	7299817.00	328492.00	ब्याज की कम गणना।	हाँ
4.	पटना विशेष	10AAACN7396R1ZW	10010440062	37545079.00	37545079.00	6194938.00	डीआरसी-01 के माध्यम से ब्याज लगाया गया लेकिन करदाता के प्रतिनिधित्व पर, ब्याज को अंततः इस आधार पर हटा दिया गया कि इसका उपयोग नहीं किया गया था तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि क्रेडिट लेजर में दावा किए गए संक्रमणकालीन क्रेडिट का उपयोग किया गया था।	हाँ
5.	पूरुनिया	10AAGCM0882P2Z9	10494151054	11520038.21	5760019.00	921000.00	₹ 5760019 का क्रेडिट लेजर में संक्रमणकालीन क्रेडिट के रूप में गलत तरीके से दावा किया गया, जिसे आगे GSTAR-3B के माध्यम से रिवर्स कर दिया गया, लेकिन, चूंकि क्रेडिट का उपयोग किया गया था, इसलिए इस पर ब्याज लगाया जा सकता था।	हाँ
कुल						8235126.39		
				60952195.61	55192176.40	8235126.39		

परिशिष्ट-VI

(संदर्भ कडिका: 3.3.6.6)

अन्य कारणों से संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	अंचल का नाम	जीएसटीआईएन	लीगेसी संख्या (बैट)	ट्रान-1 राशि	आपत्ति राशि	अभ्युक्ति	क्या विभाग द्वारा सत्यापित किया गया
1.	कदमकुँआ	10AABCA9317J1ZZ	10130219057	13879712.00	5155155.67	अंडरवैल्यूड स्टॉक पर अतिरिक्त संक्रमणकालीन क्रेडिट	हाँ
2.	पटना उत्तर	10ABJPM3378D1ZY	10107740054	746784.63	27764.39	सकल आवर्त का छिपाव और स्टॉक का कम मूल्यांकन	हाँ
3.	पटना उत्तर	10AAFCA8138B3Z9	10103656092	347528.00	319069.07	अंडरवैल्यूड स्टॉक पर अतिरिक्त संक्रमणकालीन क्रेडिट	हाँ
4.	शाहाबाद	10AOAPP4063L1Z4	10160138028	229386.00	229386.00	2016-17 से अग्रोषित किया गया अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत है, जिसके परिणामस्वरूप गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट को 2016-17 में अग्रोषित किया	हाँ
कुल				15203410.63	5731375.13		

परिशिष्ट-VII
(संदर्भ कंडिका: 3.4.2)
आवर्त का छिपाव किया जाना

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टिन	अवधि	सामग्री/दर (प्रतिशत में)	वास्तविक क्रय/विक्रय	लेखांकित क्रय/विक्रय	मूल्य का छिपाव	कर	अर्थदण्ड ब्याज	कुल	पाया गया अन्तर
1.	पटना सिटी पूर्व	मेसर्स जय कृष्णा स्टील प्राइवेट लिमिटेड / 10061889042	2016-17	आयर्न एवं स्टील 5	572013286	544180914	27832372	1391618	4174854 1043713	6610185	आर.टी.-III एवं व्यापार खाताबही
		मेसर्स ज्योति मोल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड / 10061644016	2016-17	रौ एवं पैकिंग मैटेरियल 14.5 एवं 15	138279164	135987948	2291216	339786	1019358 259936	1619080	आर.टी.-III एवं डी-X
2.	पटना उत्तर	मेसर्स चिराग इंडस्ट्रीज / 10100696040	2016-17	फर्नीचर 15	4965463	38465	4926998	739049	2217147 565372	3521568	आर.टी.-III एवं व्यापार खाताबही
		कुल			715257913	680207327	35050586	2470453	7411359 1869021	11750833	

परिशिष्ट – VIII
(संदर्भ कंडिका: 3.4.4)
इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित/अधिक दावा

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टिन	अवधि	क्रयमूल्य जिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया	इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ/अनुमति	वास्तविक हकदारी	अधिक/गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ	अर्थदण्ड ब्याज	कुल
1.	पटना सिटी पूर्व	मेसर्स पारले बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड / 10060425035	2015-16	265026820	20497904	17126712	3371192	10113576 3135209	16619977
2.	पटना उत्तर	मेसर्स दीपक होजरी / 10104419094	2016-17	52672264	2968367	1228184	1740203	5220609 1357358	8318170
		मेसर्स टॉपसेल मार्केटिंग प्रा0 लि0 / 10100628043	2016-17	114129330	16736687	7971112	8765575	26296725 6837149	41899449
कुल				431828414	40202958	26326008	13876970	41630910 11329716	66837596

परिशिष्ट-IX
(संदर्भ कंडिका: 3.4.5)
कर के गलत दर लगाये जाने के कारण कर का कम आरोपण

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टिन	अवधि	सामग्री	दर जो दिया जाना निर्धारित किया गया जो लिया गया (प्रतिशत में)	राशि जिस पर दर का अंतर लगाया जाना था	कर	ब्याज	कुल
1.	भागलपुर	मेसर्स गणपति ट्रेडर / 10520960083	2016-17	इलेक्ट्रीकल गुड्स	14.5/5 एवं 15/6	10354845	963096	765661	1728757
2.	दानापुर	मेसर्स भीआरसी कंस्ट्रक्सन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड / 10047376032	2016-17	सैन्ड	14.5/5 एवं 15/6	6858789	630639	472989	1103628
3.	पटना केन्द्रीय	मेसर्स आरपी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड / 10155425034	2016-17	सैन्ड एवं ग्रेट	15/6	3039478	273553	209268	482821
4.	पटना केन्द्रीय	मेसर्स शिवकिशोर कंस्ट्रक्सन प्राइवेट लिमिटेड / 10156317057	2016-17	सैन्ड एवं ग्रेट	6/5 एवं 15/5	19478363	1210480	926017	2136497
5.	पटना केन्द्रीय	मेसर्स दुर्गा प्रताप सिंह / 10157921074	2016-17	सैन्ड एवं ग्रेट	15/5	21487368	2148737	1643784	3792521
6.	पटना केन्द्रीय	मेसर्स सेफटी कंट्रोल एवं डेवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड / 10159018095	2016-17	इलेक्ट्रीकल गुड्स	15/6	34699564	3122961	2435910	5558871
7.	पटना केन्द्रीय	मेसर्स रिकोन / 10151212088	2016-17	सैन्ड एवं ग्रेट	15/6	39737591	3576383	2789578	6365961
कुल						135655998	11925849	9243207	21169056

परिशिष्ट –X
(संदर्भ कंडिका: 4.3.1)
तोषण की कम गणना किया जाना

क्र. सं.	अधिनिर्णय सं०	लाभार्थियों का नाम	प्लॉट सं०	भूमि का क्षेत्रफल (डिसमील में)	भूमि का मूल्य	परिसंपत्तियों का मूल्य	धारा 30(1) के तहत वास्तविक तोषण का मूल्य	धारा 30(1) के तहत तोषण की गणना	अंतर
1.	1	श्रीकांत प्रसाद	803/1	34	5440000	2004043	7444043	5440000	2004043
2.	2	शिवधर दास	803/2	7	5600000	1270870	6870870	5600000	1270870
3.	4	शंभु राय	803/4	1.75	1400000	358473	1758473	1400000	358473
4.	6	बागार दास	803/5	2.50	2000000	182491	2182491	2000000	182491
5.	8	राधो पटेल	803/7	7.50	6000000	1634826	7634826	6000000	1634826
6.	11	मधु कुमारा	803/9	27	21600000	8112845	29712845	21600000	8112845
7.	15	अशोक यादव	803/12	2.20	1760000	598165	2358165	1760000	598165
8.	17	हरेन्द्र यादव	803/14	3.20	2560000	608748	3168748	2560000	608748
9.	26	बलीराम दास	804/1	6	4800000	564613	5364613	4800000	564613
10.	28	शंभु दास	804/2	6	4800000	1208431	6008431	4800000	1208431
11.	30	मोतीलाल दास	804/3	6.50	5200000	723466	5923466	5200000	723466
12.	33	राजेश दास	805/2	3	1500000	270557	1770557	1500000	270557
13.	36	योगेन्द्र पटेल	805/4	1.65	825000	210447	1035447	825000	210447
14.	37	लालचन्द दास	805/5	6.25	3125000	1535345	4660345	3125000	1535345
15.	39	संजय दास	805/6	2.75	1375000	784856	2159856	1375000	784856
16.	43	जोखू दास	806/3	6.50	5200000	1054561	6254561	5200000	1054561
17.	45	लक्ष्मण दास	806/4	15.25	12200000	1119414	13319414	12200000	1119414
कुल					85385000	22242151	107627151	85385000	22242151

परिशिष्ट-XI
(संदर्भ कडिका: 4.3.2)
अतिरिक्त मुआवजे का कम भुगतान किया जाना

क्र. सं.	परियोजना का नाम	मौजा का नाम	अधिसूचना की तिथि	कब्जा/अधिनिर्णय की तारीख, जो पहले हो	भूमि का बाजार मूल्य	अतिरिक्त मुआवजे की अवधि (एस0आई0ए0 की अधिसूचना से लेकर तारीख के अनुमोदन तक, जो पहले हो) दिनों में	भूमि के बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजे की राशि	12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजे की गयी राशि	अंतर
1.	इण्डो-नेपाल सीमा सड़क परियोजना	जोगबनी	14 जुलाई 2016	25 जुलाई 2018	44388000.00	741	43676706.16	21514167.00	22162539.16
				कुल	134896725.00				
		दक्षिण माहेश्वरी	14 जुलाई 2016	25 जुलाई 2018	38175000.00	741	50683029.66	24965325.00	25717704.66
2.	हाजीपुर सुगौली नई रेल लाइन	जसौली	13 फरवरी 2018	15 जुलाई 2021	1234530.00	1248	16283435.16	5159248.00	1124187.16
				कुल	15487000.00				
			कुल	22964994.00					
3.	केसरिया बौद्ध स्तूप	तेजपुर देउर	28 नवम्बर 2019	10 अप्रैल 2021	273685.50	499	67921.64	16561.00	51360.64
				कुल	140332.50				
			कुल	414018.00					
4.	महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय	फुरसतपुर	05 जनवरी 2016	27 नवम्बर 2019	118484500.00	1422	55392315.29	28436280.00	26956035.29
				कुल					
कुल							166103407.91	80091581.00	86011826.91

परिशिष्ट-XII

(संदर्भ कडिका: 4.3.3)

लगान के पूँजीकृत मूल्य पर उपकर का आरोपण नहीं किया जाना

क्र० सं०	परियोजना का नाम	मौजा का नाम	अधिकृत भूमि डिसमील में	वार्षिक भूमि किराये की राशि ₹ 10 प्रति डिसमील की दर से	25 वर्षों के लिए भूमि किराये का पूँजीकृत मूल्य	भूमि किराये पर राशि उपकर 145% की दर से
1.	महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी	बंकट	3337	33370	834250	1209662.50
		फुरसतपुर	10303	103030	2575750	3734837.00
2.	गंडक नदी के चकिया केसरिया सत्तरघाट पर 27 कि०मी० उच्च कोटि के आरसीसी पुल का निर्माण।	धेखा चादर नं० 3 एवं 4 सुन्दरपुर चादर नं० 7 एवं 8	2248	22480	562000	814900.00
			1532	15320	383000	555350.00
कुल योग					4355000	6314749.50

परिशिष्ट-XIII

(संदर्भ कडिका: 5.3 द्वितीय बुलेट)

भूमि के अवमूल्यन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	टोकन सं० / दस्तावेज सं०	विक्री विलेख के अनुसार मूल्यांकन	न्यूनतम मूल्य पंजी के अनुसार मूल्यांकन	देय मुद्रांक शुल्क (6 प्रतिशत की दर से)	मुद्रांक शुल्क का भुगतान	मुद्रांक शुल्क की कम वसूली	देय निबंधन फीस	निबंधन फीस का भुगतान (2 प्रतिशत की दर से)	निबंधन फीस की कम वसूली	कुल मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस की कम वसूली	अन्य टोकन/ विलेख संख्या की टिप्पणी
1.	अवर निबंधक, पटना सिटी	4725 / 4367	3040000	16935797	1016148	252320	763828	338716	63840	274876	1038704	5429 / 5060
2.	जिला अवर निबंधक, बांका	16352 / 15370	1161000	26100000	1566000	69660	1496340	522000	23220	498780	1995120	15978 / 17026
3.	जिला अवर निबंधक, गोपालगंज	5442 / 5110 10633 / 9825 11120 / 10481 11627 / 11013	7500000 1342000 845000 683000	15000000 8540000 4550000 2100000	900000 512400 273000 126000	450000 80520 50700 40980	450000 431880 222300 85020	300000 170800 91000 42000	150000 26840 16900 13660	150000 143960 74100 28340	600000 575840 296400 113360	6079 / 5546 10610 / 10893 11348 / 10745 11628 / 11566
4.	जिला अवर निबंधक, बक्सर	14684 / 14193	1017000	12320000	739200	61020	678180	246400	20340	226060	904240	14688 / 14194
5.	जिला अवर निबंधक, मोतीहारी	212 / 342	11745000	20880000	1252800	704700	548100	417600	234900	182700	730800	7495
कुल			27333000	106425797	6385548	1709900	4675648	2128516	549700	1578816	6254464	

परिशिष्ट-XIV

(संदर्भ कंडिका: 5.4)

खनन पट्टे पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली

क्र० सं०	पट्टादाता	पट्टेदार	टोकन सं० / दस्तावेज सं० तथा दिनांक	नीलाम राशि	वसूलनीय मुद्रांक शुल्क (कोलम 5 का 6 प्रतिशत)	मुद्रांक शुल्क का भुगतान	अंतर	वसूलनीय निबंधन फीस (कोलम 5 का 2 प्रतिशत)	निबंधन फीस का भुगतान	अंतर	कुल अंतर (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	बिहार सरकार	नवयुग इंजीनियरिंग कम्पनी, विशाखापट्टनम	2007 / 2157 27.04.16	175500000	10530000	527000	10003000	3510000	175500	3334500	13337500
2.	बिहार सरकार	नवयुग इंजीनियरिंग कम्पनी, विशाखापट्टनम	2008 / 2156 27.04.16	152500000	9150000	458000	8692000	3050000	152500	2897500	11589500
3.	बिहार सरकार	ऐरिना फूड एवं एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०	1840 / 1786 03.04.17	290000000	17400000	870000	16530000	5800000	291000	5509000	22039000
4.	बिहार सरकार	मेसर्स विभारज कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०	3182 / 3101 30.05.17	148250000	8895000	445780	8449220	2965000	149260	2815740	11264960
5.	बिहार सरकार	श्री अमन सेठी	3487 / 3395 14.06.17	148250000	8895000	445780	8449220	2965000	149260	2815740	11264960
कुल				914500000	54870000	2746560	52123440	18290000	917520	17372480	69495920

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

प्रतिवेदन डाउनलोड
करने हेतु
क्यू0 आर0
कोड स्कैन करें



www.ag.bih.nic.in